[2022] 10 एस.सी.आर. 595

बरुण चंद्र ठाकुर

बनाम

मास्टर भोलू और अन्य

(2022 का आपराधिक अपील संख्या 950)

जुलाई 13, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ, न्यायमूर्तिगण]

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 – धारा 15 – धारा का प्रावधान। 15(1) – निर्देशात्मक या अनिवार्य – निर्णय: व्याख्या का सुस्थापित सिद्धांत कि शब्द 'हो सकता है' जब किसी कानून में अपने आप में प्रयोग किया जाता है तो वह निर्देशात्मक अर्थ नहीं रखता है – यदि किसी विशेष मामले में, इक्विटी और न्याय के हित में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा एक वैधानिक कर्तव्य को व्यक्त करना है, तो "हो सकता है" शब्द का प्रयोग न्यायालय को इसे अनिवार्य रंग देने से नहीं रोकेगा – अधिनियम, 2015 के उद्देश्य और इसके विधायी इरादे को देखते हुए, विशेष रूप से बच्चे के सर्वोत्तम हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इसकी धारा 15(1) के प्रावधान में अभिव्यक्ति "हो सकता है" और अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेने की आवश्यकता अनिवार्य के रूप में संचालित होगी जब तक कि बोर्ड में कम से कम एक सदस्य शामिल न हो जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में डिग्री के साथ एक अभ्यासशील पेशेवर हो – इसके अलावा, यदि बोर्ड, कम से कम एक सदस्य के साथ अपनी संरचना को देखते हुए, जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में डिग्री के साथ एक अभ्यासशील पेशेवर है, ऐसी सहायता नहीं लेने का विकल्प चुनता है, तो यह इसके लिए विशिष्ट कारण दर्ज किए जाएंगे।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 – धारा 15 – के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन – धारा 15 में प्रयुक्त भाषा "अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता" है – प्रयुक्त अभिव्यक्ति बहुवचन में है अर्थात अपराध के

"परिणाम" और इसलिए यह सिर्फ अपराध के तत्काल परिणाम तक ही सीमित नहीं होगा – परिणाम भौतिक/भौतिक रूप में हो सकते हैं लेकिन आने वाले समय में बच्चे के दिमाग और मनोविज्ञान को भी प्रभावित कर सकते हैं – किशोर की मानसिक क्षमता और अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता का व्यक्तिगत मूल्यांकन धारा 15 द्वारा अनिवार्य प्रारंभिक मूल्यांकन के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है – प्रारंभिक मूल्यांकन की रिपोर्ट 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे के मामले को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने के प्रासंगिक प्रश्न का फैसला करती है – कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की 'मानसिक क्षमता और परिणामों को समझने की क्षमता' के इस मूल्यांकन को किसी भी तरह से औपचारिक और नियमित कार्य की स्थिति में नहीं रखा जा सकता ऐसा निर्णय, जिस पर कानून से संघर्षरत बच्चे का भाग्य निर्भर करता है, सावधानीपूर्वक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किए बिना नहीं लिया जाना चाहिए।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - सामाजिक जांच रिपोर्ट (एसआईआर) - प्रासंगिकता - निर्णय: कानून से संघर्षरत प्रत्येक बच्चे के लिए एसआईआर तैयार करना एक वैधानिक आवश्यकता है, जिसे परिवीक्षा अधिकारी या किशोर न्याय बोर्ड के निर्देशानुसार किसी अन्य एजेंसी द्वारा तैयार किया जाना है - एसआईआर तैयार कराने का उद्देश्य बच्चे की पृष्ठभूमि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना है - एसआईआर एक प्रासंगिक सामग्री है जिस पर बोर्ड को जमानत के संबंध में कोई आदेश पारित करते समय या जांच या प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद निर्णय लेने के लिए विचार करना चाहिए।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) मॉडल नियम, 2016- जांच, सामाजिक जांच रिपोर्ट (एसआईआर) प्रस्तुत करने, प्रारंभिक मूल्यांकन और अधिनियम, 2015 और मॉडल नियमों के तहत जांच के लिए समयसीमा प्रदान की गई है- उद्देश्य और तर्क- विभिन्न प्रावधानों के तहत दी गई समयसीमा का एक तर्क है- पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाने वाली एसआईआर बोर्ड को जल्द से जल्द जमानत के अनुरोध पर निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगी- नियम 10(5) के तहत दी गई एक महीने की

अवधि बोर्ड को लंबित जमानत मामले या प्रारंभिक मूल्यांकन पर निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए है, जिसके लिए तीन महीने का समय प्रदान किया गया है- चार महीने या किसी विस्तारित अवधि के भीतर जांच पूरी करना यह सुनिश्चित करना है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 - धारा 15 - धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन का कार्य एक नाजुक कार्य है जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और मामले की सुनवाई के संबंध में इसके अपने निहितार्थ हैं - इस संबंध में उपयुक्त और विशिष्ट दिशानिर्देश - केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिशानिर्देश या निर्देश जारी करने पर विचार करें जो किशोर न्याय बोर्ड को धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन करने में सहायता और सुविधा प्रदान कर सकें।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

यह माना: 1. वयस्क के रूप में मुकदमा चलाए जाने के परिणाम गंभीर प्रकृति के होते हैं और बच्चे के पूरे जीवन पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी भी आदेश के गंभीर नागरिक परिणाम होने पर, उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि ऐसे मामले में उचित अवसर क्या होगा जहां किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाना है। [पैरा 46][639-जी]

2. मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि यह केवल बच्चे की मानसिक क्षमता का आकलन करने के उद्देश्य से थी। रिपोर्ट में कथित अपराध करने के परिणामों के बारे में बच्चे के ज्ञान के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था, न ही इसमें कथित अपराध के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का उल्लेख किया गया था। ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था, क्योंकि जाहिर तौर पर बोर्ड को केवल बच्चे की मानसिक क्षमता पर राय की आवश्यकता थी। [पैरा 49] [640-एफ-जी]

3. गोपनीयता बनाए रखने का एक अलग उद्देश्य है, लेकिन किसी भी मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए, संबंधित सामग्री बच्चे या उसके अभिभावक या माता-पिता को प्रदान नहीं की जाएगी। यह आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन होगा। अधिनियम, 2015 की धारा 99 में प्रयुक्त गोपनीयता की अवधारणा रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में आने या सार्वजनिक रूप से साझा करने से रोकने के लिए है। इसकी उपलब्धता कार्यवाही के पक्षकारों तक ही सीमित रहेगी और पक्षों को इसे तीसरे पक्ष के साथ साझा करने से भी बचना चाहिए। धारा 99(2) गैर-बाधा खंड से शुरू होती है और यह निर्देश देती है कि पीड़ित को केस रिपोर्ट, आदेश और संबंधित कागजात तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब विधायिका का इरादा पीड़ित को सामग्री प्रदान करना है, तो गोपनीयता के नाम पर बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावकों को रिकॉर्ड तक ऐसी पहुंच से वंचित करने का इरादा कभी नहीं हो सकता है। बोर्ड और बाल न्यायालय ने अधिनियम, 2015 की धारा 99 की गलत व्याख्या करके मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध न कराकर अवैधानिकता की है। [पैरा 52][641-डी-एफ]

4. वर्तमान मामले में, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 10(5) के तहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने तक प्रारंभिक मूल्यांकन को स्थगित करने के प्रतिवादी के अनुरोध के बावजूद, बोर्ड ने 13.12.2017 को इसे अस्वीकार कर दिया और बोर्ड ने उसके बाद 20.12.2017 को एक सप्ताह के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन का आदेश जारी किया। बच्चे को हिरासत में ले लिया गया था और उसे पहली बार 08.11.2017 को बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था। प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए तीन महीने की अवधि 07.02.2018 तक जारी रहनी चाहिए थी। बोर्ड को मॉडल नियमों के नियम 10(5) के तहत रिपोर्ट और सामग्री का इंतजार करना चाहिए था। इसी तरह, एक बार मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि यदि आगे की जांच की आवश्यकता है तो प्रतिवादी को रोहतक में एक विशेष संस्थान में भेजा जाना चाहिए था, लेकिन इस सुझाव को भी बोर्ड ने बिना किसी ठोस कारण के स्वीकार नहीं किया। [पैरा 61][644-ई-एफ]

5. यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से सहमत है कि मनोवैज्ञानिक द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद आगे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए था और संस्थान का नाम भी सुझाया गया था। बोर्ड और बाल न्यायालय का स्पष्ट रूप से यह विचार था कि मानसिक क्षमता और अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता एक ही है, यानी अगर बच्चे में अपराध करने की मानसिक क्षमता है, तो उसके पास अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता भी स्वतः ही होगी। यह उनके द्वारा की गई एक गंभीर त्रुटि है। धारा 15 में प्रयुक्त भाषा "अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता" है। प्रयुक्त अभिव्यक्ति बहुलता में है, अर्थात् अपराध के "परिणाम" और, इसलिए, यह केवल अपराध के तत्काल परिणाम तक ही सीमित नहीं होगा या यह कि अपराध की घटना का परिणाम केवल पीड़ित पर ही पड़ेगा, बल्कि यह उन परिणामों को भी अपने दायरे में लेगा जो हमले के परिणामस्वरूप न केवल पीड़ित पर पड़ सकते हैं, बल्कि पीड़ित के परिवार, बच्चे, उसके परिवार पर भी पड़ सकते हैं, और वह भी न केवल तत्काल परिणाम बल्कि भविष्य में दूरगामी परिणाम भी। [पैरा 67 और 68] [646-एफ-एच; 647-ए-बी]

6.1. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15 और 19 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन करने की शक्ति किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालय में निहित है। धारा 18(3) के तहत संदर्भित किए जाने वाले मामले पर बाल न्यायालय, स्वयं ही यह जांच करेगा कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना है या नहीं, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जाना है, तो वह स्वयं बोर्ड के रूप में जांच करेगा और धारा 18 के तहत उचित आदेश पारित करेगा। इस प्रकार, प्रारंभिक मूल्यांकन करने की शक्ति बोर्ड और बाल न्यायालय के पास है। यह न्यायालय प्रारंभिक मूल्यांकन के अभ्यास पर गहराई से विचार नहीं कर सकता। यह न्यायालय केवल इस बात की जांच करेगा कि प्रारंभिक मूल्यांकन कानून के तहत अपेक्षित रूप से किया गया है या नहीं। यहां तक कि उच्च न्यायालय, धारा 102 के तहत पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए, बोर्ड या बाल न्यायालय के निर्णय का केवल उसकी वैधता या औचित्य के संबंध में परीक्षण करेगा। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर सीमित सामग्री पर

विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और जिसके लिए, उसने मामले को बोर्ड को वापस भेज दिया है और साथ ही अतिरिक्त साक्ष्य लेने और नया निर्णय लेने से पहले बच्चे को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। [पैरा 81][657-सी-एफ]

6.2. निष्कर्ष पर पहुंचने में, उच्च न्यायालय ने सबसे पहले माना कि प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। दस्तावेजों की सूची, दस्तावेजों की प्रतियां, बयान की प्रतियां, एसआईआर प्रतिवादी को प्रदान नहीं किया जाना, मॉडल नियमों के नियम 10(5) का स्पष्ट उल्लंघन था। [पैरा 82][657-जी]

6.3. रिपोर्ट देने वाले विशेषज्ञों से जिरह करने के लिए विशेष अनुरोध के बावजूद, प्रतिवादी को यह उपलब्ध नहीं कराया गया। विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए परीक्षण 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे पर लागू नहीं हो सकते थे या नहीं किए जा सकते थे। इसे केवल एक परीक्षण में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों और दूसरे परीक्षण में 11.5 वर्ष तक के बच्चों पर ही लागू किया जा सकता था। मनोवैज्ञानिक ने एक बेहतर सुविधा द्वारा आगे के मूल्यांकन का सुझाव दिया था, जिसे बोर्ड ने बिना किसी ठोस कारण के स्वीकार नहीं किया। [पैरा 83][657-एच; 658-ए]

6.4. बच्चे की आईक्यू के आधार पर लागू सूत्र के अनुसार मानसिक आयु 16 वर्ष से कम होगी। बोर्ड ने बच्चे, उसके वकील, उसके पिता और सीबीआई के वकील को रिपोर्ट के 35 पृष्ठों को पढ़ने के लिए केवल 30 मिनट का समय दिया, जो पढ़ने और समझने तथा खंडन में कोई सबूत देने के लिए बहुत कम था। सीबीआई के वकील ने माना कि उसके पास अधिनियम, 2015 के तहत जांच करने के लिए अधिकारी या आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं था। उपरोक्त सभी कारणों से, उच्च न्यायालय ने बोर्ड और बाल न्यायालय के दोनों आदेशों को अलग रखते हुए मामले को बोर्ड को वापस भेज दिया ताकि नए सिरे से विचार किया जा सके और बुद्धिमत्ता, परिपक्वता, शारीरिक फिटनेस का आकलन किया जा सके और यह भी देखा जा सके कि कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा अपराध के परिणामों को जानने की स्थिति में है या नहीं। यह अभ्यास छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना था। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि प्रारंभिक मूल्यांकन नए सिरे से करते समय, सरकारी अस्पताल

(मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक) के मनोवैज्ञानिक की राय ली जाए। यह न्यायालय सभी बिंदुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और आगे के परीक्षण करने के निर्देश से सहमत नहीं हो सकता है। हालांकि, यह न्यायालय पर्याप्त अवसर की कमी पर त्रुटियों को सुधारने के बाद मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजने के उच्च न्यायालय के अंतिम परिणाम से सहमत है। [पैरा 84][658-बी-ई]

6.5. उच्च न्यायालय ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया, तथा मामले को वापस भेज दिया और बच्चे की आगे की जांच करवाने का निर्देश दिया, तथा यह अभ्यास 6 सप्ताह के भीतर किया जाना था। आज, साढ़े तीन साल बाद, कोई भी इस बारे में राय देने की स्थिति में नहीं है कि क्या इस स्तर पर कोई और परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे की उम्र अब 21 वर्ष से अधिक है। हालांकि, यह बोर्ड या मनोवैज्ञानिक के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जिनसे परामर्श किया जा सकता है कि क्या कोई नई जांच किसी भी तरह से प्रासंगिक/सहायक होगी या नहीं। अधिनियम, 2015 या मॉडल नियम बोर्ड को प्रासंगिक पहलुओं पर उचित प्रारंभिक मूल्यांकन करने में सुविधा प्रदान करने के लिए कोई दिशानिर्देश या रूपरेखा निर्धारित नहीं करते हैं। बोर्ड को दी गई एकमात्र स्वतंत्रता एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक या एक मनो-सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त करना है। वर्तमान मामले में, केवल सहायता ली गई है, बच्चे की मानसिक बुद्धि प्राप्त करना। इसके अलावा, परिणामों को समझने की क्षमता और साथ ही जिन परिस्थितियों में कथित अपराध किया गया था, उनके बारे में किसी भी मनोवैज्ञानिक से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई। [पैरा 85][658-एफ-एच; 659-ए-बी]

6.6. अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन का कार्य एक नाजुक कार्य है जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और मामले की सुनवाई के संबंध में इसके अपने निहितार्थ हैं। मामले के इस दृष्टिकोण से, यह उचित प्रतीत होता है कि इस संबंध में उचित और विशिष्ट दिशा-निर्देश लागू किए जाएं। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस संबंध में दिशा-निर्देश या निर्देश जारी करने पर विचार कर सकते हैं जो

अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन करने में बोर्ड की सहायता और सुविधा कर सकते हैं। [पैरा 87][659-सी-डी]

बच्चन देवी बनाम नगर निगम, गोरखपुर **(2008) 12 एससीसी 372 : [2008] 2 एससीआर 424** और धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2007) 8 एससीसी 338 : [2007] 10 एससीआर 245 - पर भरोसा किया गया।**

किशन पासवान बनाम यूओआई **सिविल विविध डब्ल्यूपी संख्या 5044/2020;** मुकर्रब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2017) 2 एससीसी 210 : [2016] 8 एससीआर 557;** रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) व अन्य बनाम एस. बालचंद्रन नायर **(2005) 13 एससीसी 128 : [2005] 4 अनुपूरक एससीआर 431;** अमित कपूर वि.रमेश चंदर एवं अन्य **(2012) 9 एससीसी 469;** राजेंद्र राजोरिया बनाम जगत नारायण थापक और अन्य **(2018) 17 एससीसी 234;** जबर सिंह बनाम दिनेश **(2010) 3 एससीसी 757 : [2010] 3 एससीआर 353;** चंदावरकर सीता रत्न राव बनाम आशालता एस. गुरम **(1986) 4 एससीसी 447: [1986] 3 एससीआर 866;** मदनलाल फकीरचंद दूधिया बनाम एस चांगदेव चीनी मिलें **1962 एआईआर 1543: [1962] पूरक एससीआर 973;** चिन्नामर काथियम बनाम अय्यावू **एआईआर 1982 एससी 137: [1982] 2 एससीआर 146;** ज्योति प्रकाश राय @ ज्योति प्रकाश बनाम बिहार राज्य **(2008) 15 एससीसी 223 : [2008] 3 एससीआर 818;** बालकराम बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य **(2017) 7 एससीसी 668 : [2017] 5 एससीआर 367;** शिल्पा मित्तल बनाम एनसीटी राज्य एवं अन्य **[2020] 2 एससीआर 478;** जी. सुंदरराजन बनाम भारत संघ एवं अन्य **(2013) 6 एससीसी 620 : [2013] 8 एससीआर 631;** शिल्पा मित्तल बनाम एनसीटी राज्य और अन्य **सीआरएल. अपील संख्या 34/2020 : [2020] 2 एससीआर 478;** बच्चन देवी एवं अन्य वि. नगर निगम गोरखपुर **(2008) 12 एससीसी 372: [2008] 2 एससीआर 424;** अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2013) 6**

एससीसी 770: [2013] 8 **एससीआर** 863; बैंक ऑफ स्टेट त्रावणकोर बनाम मोहम्मद मोहम्मद खान (1981) 4 **एससीसी** 82 : [1982] 1 **एससीआर** 338; सोम प्रकाश रेखी वि. भारत संघ (1981) 1 **एससीसी** 449: [1981] 2 **एससीआर** 111; प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य (2005) 3 **एससीसी** 551;[2005] 1 **एससीआर** 1019; सलिल बाली बनाम भारत संघ और अन्य (2013) 7 **एससीसी** 705 : [2013] 13 **एससीआर** 1020; बंबई प्रांत बनाम कुसलदास एस. आडवाणी [1950] **एससीआर** 621; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम ए.पी. वक्फ बोर्ड 2022 **एससीसी ऑनलाइन एससी** 159; कानूनी मामलों के अधीक्षक और स्मरणकर्ता पश्चिम बंगाल बनाम सत्येन भौमिक (1981) 2 **एससीसी** 109 : [1981] 2 **एससीआर** 661; नित्या धर्मानंद बनाम गोपाल शीलम रेड्डी (2018) 2 **एससीसी** 93 : [2017] 12 **एससीआर** 118; अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में आपराधिक परीक्षण दिशानिर्देश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (2021) 10 **एससीसी** 598 : [2011] 2 **एससीआर** 1087; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम आईएनडी-स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड (2011) 4 **एससीसी** 635 : [2011] 2 **एससीआर** 1087; महाबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2001) 7 **एससीसी** 148 : [2001] 1 **अनुपूरक एससीआर** 37; ऑप्टो सर्किट इंडिया लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक (2021) 6 **एससीसी** 707; आलोक नाथ दत्ता एवं अन्य बंगाल राज्य (2007) 12 **एससीसी** 230 : [2006] 10 **अनुपूरक**

एससीआर 662; शरत बाबू दिगुआमार्टी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली (2017) 2 **एससीसी** 18: [2016] 8 **एससीआर** 1015; फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम लेबर कोर्ट (1985) 3 **एससीसी** 103: [1985] 3 **एससीआर** 491; दिल्ली नगर निगम बनाम गिरधारीलाल सपू (1981) 2 **एससीसी** 758; रामगोपाल गणपतराय रुइया बनाम. बॉम्बे राज्य [1958] **एससीआर** 618; कृष्णन बनाम. कृष्णावेनी (1997) 4 **एससीसी** 241: [1997] 1 **एससीआर** 511; राजेश्वर सिंह बनाम सुब्रत रॉय सहारा (2013) 14 **एससीसी** 257; अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 **सप्प** (1) **एससीसी**

145; यूनियन कार्बाइड कॉर्प बनाम यूनियन ऑफ इंडिया **(1991) 4 एससीसी 584 : [1991] 1 सप्ल. एससीआर 251;** एम. सिद्दीक (मृत) कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से (राम जन्मभूमि मंदिर मामला) बनाम महंत सुरेश दास और अन्य **(2020) 1 एससीसी 1 : [2019] 18 एससीआर 1 – संदर्भित।**

केंट बनाम यूनाइटेड स्टेट्स **(383, यूएस, 541, 1966);** नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर **1936 आईएलआर 372**; द किंग बनाम सॉ मिन **1938 एससीसी ऑनलाइन रंग 68;** एम्परर बनाम एन.जी. चटर्जी **आईएलआर 1946 एएलएल – संदर्भित।**

<u>कानून पर भरोसा किया गया</u>

[2016] 8 एससीआर 557	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 42 (एक्स) (बी)**
[2005] 4 अनुपूरक एससीआर 431	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 42 (एक्स) (सी)**
(2012) 9 एससीसी 469	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 42 (एक्स) (डी)**
(2018) 17 एससीसी 234	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 42 (एक्स) (ई)**
[2010] 3 एससीआर 353	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 42 (एक्स) (एफ)**
[1986] 3 एससीआर 866	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 42 (एक्स) (जी)**
[1962] अनुपूरक एससीआर 973	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 42 (x) (h)**
[1982] 2 एससीआर 146	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 42 (x) (i)**
[2008] 3 एससीआर 818	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 42 (x) (j)**
[2017] 5 एससीआर 367	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 43 (xiv) (a)**
[2020] 2 एससीआर 478	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 43 (xiv) (b)**
[2013] 8 एससीआर 631	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 43 (xiv) (c)**
[2020] 2 एससीआर 478	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 44 (xviii) (a)**
[2008] 2 एससीआर 424	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 44 (xviii) (बी)**
[2013] 8 एससीआर 863	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 44 (xviii) (सी)**
[1982] 1 एससीआर 338	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 44 (xviii) (डी)**

[1981] 2 एससीआर 111	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (ई)
[2005] 1 एससीआर 1019	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (एफ)
[2013] 13 एससीआर 1020	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (जी)
[1950] एससीआर 621	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (एच)
[1981] 2 एससीआर 661	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (जे)
[2017] 12 एससीआर 118	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (के)
[2011] 2 एससीआर 1087	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (एल)
[2011] 2 एससीआर 1087	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (एम)
[2001] 1 पूरक। एससीआर 37	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (पी)
(2021) 6 एससीसी 707	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (क्यू)
[2006] 10 पूरक एससीआर 662	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (आर)
[2016] 8 एससीआर 1015	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (एस)
[1985] 3 एससीआर 491	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (टी)
(1981) 2 एससीसी 758	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (यू)
[1958] एससीआर 618	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (v)
[1997] 1 एससीआर 511	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (x)
(2013) 14 एससीसी 257	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (वाई)
1994 अनुपूरक (1) एससीसी 14	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (जेड)
[1991] 1 पूरक। एससीआर 251	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (एए)
[2019] 18 एससीआर 1	संदर्भित किया गया	पैरा 44 (xviii) (बीबी)
[2008] 2 एससीआर 424	पर निर्भर	पैरा 77
[2007] 10 एससीआर 245	पर निर्भर	पैरा 78

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2022 का 950

2018 के सीआरआर संख्या 2366 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.10.2018 से।

साथ

2022 की आपराधिक अपील संख्या 951

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ वकील, सुशील के. टेकरीवाल, डॉ. ममता टेकरीवाल, वेंकटेश्वर राव अनुमोलू, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, आदित्य सिंगला, सुश्री शुभांगनी जैन, पंकज सिंघल, सुश्री चेष्टा जेटली, सुश्री ए. साहित्य वीणा, यश गिरी, सचिन शर्मा, सुश्री रुख्मिणी बोबडे, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, ओम प्रकाश शुक्ला, सुघोष सुब्रमण्यम, अरविंद कुमार शर्मा, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया

माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ,

विलंब माफ किया गया।

2. अनुमति प्रदान की गई।

3. यह न्यायालय, किशोर न्याय (बाल संरक्षण एवं देखभाल) अधिनियम, 2015[1] की धारा 15 के अंतर्गत किए गए प्रारंभिक निर्धारण से उत्पन्न कार्यवाहियों की जांच करने के लिए बुलाई गई है। अधिनियम, 2015 की धारा 74 के प्रावधानों के अनुरूप और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में, हमने आरोपी के लिए **'भोलू'** और पीड़ित के लिए **'प्रिंस'** नाम का उपयोग किया है।

4. ये दो अपीलें, जिनमें से एक शिकायतकर्ता द्वारा और दूसरी सीबीआई द्वारा दायर की गई है, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा 11.10.2018 को पारित आदेश और निर्णय की वैधता पर प्रश्न उठाती

[1] अधिनियम, 2015

हैं। उक्त आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 2366/2018 (शीर्षक: भोलु बनाम सीबीआई) में पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली गई थी। इसके परिणामस्वरूप, किशोर न्याय बोर्ड[2], गुरुग्राम द्वारा 20.12.2017 को पारित आदेश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/बाल न्यायालय द्वारा 21.05.2018 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही, मामला नए सिरे से विचारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड को सौंप दिया गया, जिसमें उसे आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर पुनः विचार करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य निर्देश भी जारी किए गए। दिनांक 11.10.2018 के आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है: -

> "... उपरोक्त चर्चा किए गए तथ्यों और विधिक स्थिति को देखते हुए, वर्तमान याचिका स्वीकृत की जाती है और किशोर न्याय बोर्ड, गुरुग्राम द्वारा 20.12.2017 को पारित आदेश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम द्वारा 21.05.2018 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। मामले को पुनः बोर्ड के समक्ष नए सिरे से विचारण हेतु भेजा जाता है, ताकि वह किशोर की बुद्धिमत्ता, परिपक्वता, शारीरिक क्षमता और यह निर्धारण कर सके कि विधि का उल्लंघन करनेवाला बालक के परिणामों को समझने की स्थिति में था या नहीं। आवश्यक कार्यवाही आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक निर्धारण करते समय सरकारी अस्पताल के मनोवैज्ञानिक की राय ली जाए।"

5. वर्तमान अपीलों के निर्णय के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:-

(i) एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिनांक 08.09.2017 को गुरुग्राम के एक संस्थान में पर हुई, जहां कक्षा II के छात्र (प्रिंस) को सुबह 08:30 बजे शौचालय में गला कटा हुआ और बेहोशी की हालत में पाया गया। उसे तुरंत

[2] संक्षेप में 'बोर्ड'

अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत अवस्था में लाया गया घोषित किया गया। प्रारंभ में, राज्य पुलिस ने संदेह के आधार पर तीन लोगों, स्कूल वाहन के एक चालक और स्कूल के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

(ii) इस बीच, राज्य सरकार द्वारा अनुसंधान को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो[3] (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई ने अपनी अनुसंधान के दौरान इसी संस्थान के कक्षा XI के छात्र (भोलु) से दो-तीन बार पूछताछ की और इसके बाद 07.11.2017 को उसे गिरफ्तार कर लिया (जो दोनों अपीलों में प्रतिवादी संख्या 1 है)[4]।

(iii) एकत्रित किए गए सामग्री से यह पाया गया कि प्रतिवादी की जन्मतिथि 03.04.2001 थी। चूंकि घटना की तारीख 08.09.2017 थी, इसलिए प्रासंगिक तिथि पर उसकी आयु 16 वर्ष 5 माह और 5 दिन थी। प्रतिवादी की जन्मतिथि को लेकर कोई विवाद नहीं है।

6. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 10 के अनुसार, सीबीआई ने 08.11.2017 को प्रतिवादी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। बोर्ड ने प्रतिवादी को एक सुरक्षा गृह में रखने का निर्देश दिया और उसके माता-पिता को सूचित किया। धारा 13 के तहत, विधिक परिवीक्षा अधिकारी द्वारा सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट[5] (एस.आई.आर) तैयार की गई और इसे 27.11.2017 को निर्धारित प्रपत्र संख्या 6 में प्रस्तुत किया गया।

---

[3] संक्षेप में 'सीबीआई'

[4] संक्षेप में "प्रतिवादी"

[5] "सर" के रूप में संदर्भित।

7. अधिनियम, 2015 की धारा 15 यह अनिवार्य करती है कि यदि कानून से संघर्षरत कोई बालक किसी जघन्य अपराध को अंजाम देता है और उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, तो किशोर न्याय बोर्ड एक प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18(3) के प्रावधानों के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा।

8. वर्तमान मामले में, अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत आवश्यक दोनों शर्तें पूरी हो गई थीं, क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक निर्धारण करने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान, बोर्ड ने एक विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक से रिपोर्ट मंगवाई, प्रतिवादी से स्वयं बातचीत की, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एस.आई.आर.) तथा अन्य प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया और दिनांक 20.12.2017 को आदेश पारित किया। बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रतिवादी को वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है और तदनुसार, मामले के दस्तावेज़ बाल न्यायालय को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

9. दिनांक 20.12.2017 के आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी ने अधिनियम, 2015 की धारा 101 के तहत बाल न्यायालय में अपील दायर की। बाल न्यायालय ने 21.05.2018 को पारित अपने निर्णय और आदेश में बोर्ड के निर्णय को सही ठहराया और अपील को खारिज कर दिया।

10. बाल न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने अधिनियम, 2015 की धारा 102 के तहत उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। माननीय एकल न्यायाधीश के दिनांक 11.10.2018 को पारित निर्णय और आदेश द्वारा पुनरीक्षण याचिका स्वीकृत की गयी। इसके परिणामस्वरूप, बोर्ड और बाल न्यायालय

द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर दिया गया और मामला नए सिरे से विचारण हेतु बोर्ड को वापस भेज दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित यह वापस भेजने का आदेश ही वह आदेश है, जिसकी वैधता को सीबीआई और शिकायतकर्ता द्वारा दायर इन दो अपीलों में चुनौती दी गई है।

11. उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.10.2018 को पारित किया गया था, और उसके निर्देशानुसार, बोर्ड को मामले का नए सिरे से निपटारा छह सप्ताह के भीतर करना था। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, इस न्यायालय के समक्ष दो विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर की गईं। इनमें से एक शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई, जिसे एसएलपी (आप.) सं. 10123 of 2018 के रूप में पंजीकृत किया गया। दूसरी सीबीआई द्वारा दायर की गई, जिसे एसएलपी (डायरी सं. 25451 of 2019) के रूप में पंजीकृत किया गया। इस न्यायालय ने शिकायतकर्ता बरुण चंद्र ठाकुर द्वारा दायर प्रथम विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते समय, दिनांक 19.11.2018 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी पारित किया। सीबीआई द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को शिकायतकर्ता की विशेष अनुमति याचिका के साथ संयुक्त/संलग्न कर दिया गया। ये मामले साढ़े तीन वर्षों से लंबित रहे हैं। अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों द्वारा इन दोनों याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई या निपटारे के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। केवल जनवरी 2022 में, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि मामले को सुनवाई के लिए लिया जाए, क्योंकि प्रतिवादी तीन वर्षों से अधिक समय से हिरासत में है और बहुत जल्द 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाला है। मामले की कई अवसरों पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी गईं।

12. हमने श्री विक्रमजीत बनर्जी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (सीबीआई-अपीलकर्ता के लिए), श्री सुशील टेकड़ीवाल, शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, तथा श्री सिद्धार्थ लूथरा, प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, की दलीलें सुनीं और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

13. इससे पूर्व कि हम प्रस्तुत दलीलों पर विचार करें, यह उचित होगा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के वैधानिक प्रावधानों, इसकी योजना और धारा 15 के तहत प्रारंभिक निर्धारण की आवश्यकता पर संक्षेप में चर्चा की जाए। अधिनियम, 2015 के लागू होने से पहले, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000[6] प्रभावी था। उक्त अधिनियम के तहत, 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को किशोर माना जाता था और उनका मुकदमा बोर्ड द्वारा किशोर के रूप में ही चलाया जाता था। अधिनियम, 2015 के लागू होने के बाद ही, 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों की एक अलग श्रेणी बनाई गई, जो जघन्य अपराधों में संलिप्त हों। ऐसे किशोरों के लिए प्रारंभिक निर्धारण की प्रक्रिया बनाई गयी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनका मुकदमा बोर्ड द्वारा एक बच्चे के रूप में चलाया जाए या बाल न्यायालय में वयस्क के रूप में। हालांकि, यदि 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोर के संबंध में बोर्ड यह राय बनाता है कि उस किशोर का वयस्क के रूप में विचारण नहीं करना चाहिए, तो बोर्ड ही अधिनियम, 2015 के तहत विचारण की प्रक्रिया जारी रखेगा।

14. अधिनियम, 2000 और अधिनियम, 2015 को निम्नलिखित प्रस्तावना के साथ लागू किया गया था:

---

[6] इसके बाद 'अधिनियम, 2000' के रूप में संदर्भित

> "कानून के साथ कथित रूप से संघर्षरत पाए गए बच्चों और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम, जिसमें बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों के न्यायनिर्णयन और निपटान में उचित देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, सामाजिक पुनः एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाएगा और प्रदान की गई प्रक्रियाओं और स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए बाल-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और इससे संबंधित या इसके साथ प्रासंगिक मामलों के लिए..."

अधिनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधान

15. अध्याय I में धारा 1 और 2 शामिल हैं (जो परिभाषाओं का संकलन है) धारा 2(9): "बच्चे के सर्वोत्तम हित" को परिभाषित करती है धारा 2(12): "बालक" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। धारा 2(13): "विधि का उल्लंघन करनेवाला बालक" को परिभाषित करती है। धारा 2(15): "बालक हितैषी" को परिभाषित करती है। धारा 2(20): "बाल न्यायालय" को परिभाषित करती है। धारा 2(33): "जघन्य अपराध" को परिभाषित करती है, जिसमें वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए न्यूनतम सजा सात वर्ष या उससे अधिक की कारावास होती है।

16. अध्याय II में धारा 3 शामिल है, जो बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करती है, जिनका इस अधिनियम के संचालन में पालन किया जाना है। इसके अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किशोर न्याय बोर्ड और अन्य संबंधित एजेंसियां, जब इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करेंगी, तो उन्हें

धारा 3 के उपखंडों (i) से (xvi) में उल्लिखित मौलिक सिद्धांतों का पालन करना होगा। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख करना सार्थक होगा: उपधारा (i)- **निर्दोषता की अवधारणा का सिद्धांत:** किसी भी बच्चे को किसी भी दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादे से निर्दोष माना जाएगा। उपधारा (iii) - **भागीदारी का सिद्धांत:** प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार होगा कि उसकी बात सुनी जाए और उन सभी प्रक्रियाओं और निर्णयों में भाग लेने का अवसर मिले जो उसके हितों को प्रभावित करते हैं। उपधारा (iv) - **सर्वोत्तम हित का सिद्धांत:** बच्चे से संबंधित सभी निर्णयों में उसका सर्वोत्तम हित प्राथमिक विचारणीय होगा। उपधारा (ix) - **अधिकारों के त्याग न करने का सिद्धांत:** किसी भी बच्चे के किसी भी अधिकार को छोड़ा नहीं जा सकता, और यदि कोई मौलिक अधिकार प्रयोग में नहीं लाया जाता, तो भी उसे त्याग मानकर खारिज नहीं किया जाएगा। उपधारा (xvi) - **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत:** न्याय के मानकों का पालन किया जाएगा, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, पक्षपात के विरुद्ध नियम, और इस अधिनियम के तहत न्यायिक क्षमता में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों या निकायों द्वारा समीक्षा का अधिकार शामिल है।

17. अध्याय III, जिसमें धारा 4 से 9 शामिल हैं, किशोर न्याय बोर्ड के गठन, उससे संबंधित प्रक्रिया, अधिकार, कार्य और उत्तरदायित्वों से संबंधित प्रावधान करता है। धारा 4 की उपधारा (1) प्रत्येक जिले में एक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करती है, जो एक से अधिक भी हो सकते हैं, ताकि अधिनियम के तहत विधि का उल्लंघन करनेवाला बालक ों से संबंधित अधिकारों का प्रयोग कर सके और कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। धारा 4 की उपधारा (2) बोर्ड की संरचना को परिभाषित करती है। उपधारा (3) बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की पात्रता का प्रावधान

करती है। धारा 4 की उपधाराएँ (4), (5), (6) और (7) बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन की पात्रता, अयोग्यता, कार्यकाल और प्रशिक्षण से संबंधित प्रावधान करती हैं। धारा 5 यह प्रावधान करती है कि यदि बोर्ड द्वारा किसी जांच के दौरान बालक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो बोर्ड अंतिम आदेश पारित करने के लिए जांच जारी रखेगा, मानो वह व्यक्ति अभी भी बालक ही हो। धारा 6 यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जिसे उस अपराध के लिए पकड़ा गया हो जो उसने अठारह वर्ष से कम आयु में किया था, तो इस धारा के उपबंधों के अधीन, उसे जांच की प्रक्रिया के दौरान एक बालक के रूप में माना जाएगा। धारा 7 बोर्ड की बैठकों और उसके कार्यों के संचालन के लिए प्रावधान करती है। यह बोर्ड के कोरम का भी उल्लेख करती है। धारा 8 बोर्ड की शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। धारा 9 यह निर्धारित करती है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट, जिसे अधिनियम के तहत बोर्ड की शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं, यह राय बनाता है कि उसके समक्ष लाया गया आरोपी एक बालक है, तो वह तुरंत अपनी राय दर्ज करेगा और कार्यवाही के अभिलेख सहित उस बालक को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले बोर्ड के पास भेज देगा।

18. अध्याय IV, जिसमें धाराएँ 10 से 26 शामिल हैं, विधि के साथ संघर्ष में आए बच्चों से संबंधित प्रक्रिया से जुड़ा है। धाराएँ 10 और 11 किसी बच्चे के पकड़े जाने और उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार से संबंधित प्रावधान करती हैं। धारा 12 उस व्यक्ति को जमानत देने से संबंधित है, जो स्पष्ट रूप से एक बच्चा है और जिस पर कानून के साथ संघर्षरत होने का अभिकथित आरोप है। धारा 13 यह प्रावधान करती है कि माता-पिता या संरक्षकों को तुरंत सूचित किया जाए। जाए।धारा 14 बोर्ड से कानून

के साथ टकराव में एक बच्चे के संबंध में जांच करने की अपेक्षा करती है, ऐसी जांच की जानी चाहिए और अधिनियम, 2015 की धारा 17 और 18 के तहत उचित आदेश पारित किए जाने चाहिए।

19. धारा 15 में प्रारंभिक निर्धारण का प्रावधान किया गया है, जब अभिकथित अपराध जघन्य हो और बच्चा 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या उससे अधिक आयु का हो। ऐसे मामलों में, बोर्ड को यह प्रारंभिक निर्धारण करना आवश्यक है कि बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता उस अपराध को करने की थी या नहीं, वह अपराध के परिणामों को समझने में सक्षम था या नहीं, तथा जिन परिस्थितियों में उसने अभिकथित रूप से अपराध किया, वे क्या थीं। इस निर्धारण के बाद, बोर्ड को धारा 18 की उपधारा (3) के अनुसार आदेश पारित करना होता है। यदि बोर्ड की राय में बच्चे पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की आवश्यकता है, तो मामला उस बाल न्यायालय को स्थानांतरित किया जाएगा, जिसे ऐसे अपराध की सुनवाई करने का अधिकारिता प्राप्त है। अन्यथा, बोर्ड स्वयं इस मामले की सुनवाई दंड प्रक्रिया संहिता, 1973[7] के तहत एक समन मामले के रूप में करेगा।

20. धारा 16 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्रदान करती है कि वे प्रत्येक तीन महीने में बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की समीक्षा करें और लंबित मामलों की स्थिति के अनुसार उस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर सकें।

[7] संक्षेप में, 'सीआरपीसी

21. धारा 17 के अनुसार, यदि जांच के बाद बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया है, तो उसे समुचित आदेश पारित करने होंगे। इसके अलावा, यदि बोर्ड यह पाता है कि बच्चा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता में है, तो वह उसे बाल कल्याण समिति के पास भेजने हेतु भी आदेश पारित कर सकता है।

22. धारा 18 के तहत, यदि कोई बच्चा कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में पाया जाता है, तो बोर्ड को उपयुक्त आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है। इस धारा में विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और बोर्ड को ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो 16 वर्ष से कम आयु के हैं और जघन्य अपराध में संलिप्त हैं, तथा 18 वर्ष तक की आयु के वे बच्चे, जिन्होंने साधारण या गंभीर अपराध किया है। धारा 18 की उपधारा (1) और इसकी विभिन्न उपधाराएँ (ए) से (जी) तक बोर्ड को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए कई प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करती हैं। धारा 18 की उपधारा (2) बोर्ड को अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करती है, जिनके तहत वह शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, नशामुक्ति कार्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ-साथ बच्चे की भलाई के लिए उसके भ्रमण पर प्रतिबंध लगाने अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करती है। धारा 18 की उपधारा (3) यह प्रावधान करती है कि यदि बोर्ड धारा 15 के तहत किए गए प्रारंभिक निर्धारण के बाद यह आदेश पारित करता है कि बच्चे का वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है, तो वह मामले की सुनवाई को संबंधित आधिकारिता वाले बाल-न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है।

23. धारा 19 बाल न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों से संबंधित है। बाल न्यायालय, बोर्ड से प्राप्त प्रारंभिक निर्धारण के आधार पर यह निर्णय करेगा कि क्या बच्चे पर वयस्क के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार विचारण करने की आवश्यकता है। और इस धारा के प्रावधानों के साथ-साथ धारा 21 के अधीन रहते हुए विचरण के पश्चात उचित आदेश पारित करेगा। हालांकि, यदि बाल न्यायालय यह महसूस करता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह बोर्ड के रूप में जांच कर सकता है और धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है। धारा 19 की उपधारा (2) यह प्रावधान करती है कि बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चे के संबंध में पारित अंतिम आदेश में उसके पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल हो, साथ ही अन्य आवश्यक निर्देश भी दिए जाएँ। धारा 19 की उपधारा (3) के तहत, बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि कानून के साथ संघर्ष में आया बच्चा 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक सुरक्षित स्थान में रखा जाए, और उसके बाद उसे जेल में स्थानांतरित किया जाए। इसके अलावा, उपधारा (3) के प्रावधान के अनुसार, सुरक्षित स्थान में रहने की अवधि के दौरान बच्चे को सुधारात्मक सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी, जिनमें शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श, व्यवहार संशोधन उपचार, और मानसिक स्वास्थ्य सहायता शामिल हैं। धारा 19 की उपधारा (4) के तहत, बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिवर्ष एक अनुवर्ती रिपोर्ट तैयार की जाए। यह रिपोर्ट परिवीक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही, बाल न्यायालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो।

24. धारा 20(1) बाल न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह बच्चे की प्रगति और मूल्यांकन पर निगरानी बनाए रखे, यद्यपि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लेकिन अब तक अपनी निर्धारित अवधि पूरी नहीं की हो। धारा 20 की उपधारा (2) के तहत, बाल न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह आदेश पारित कर सकता है कि बच्चे को कुछ शर्तों के साथ शेष निर्धारित अवधि के लिए रिहा किया जाए, या फिर यह आदेश दे सकता है कि बच्चा अपनी शेष अवधि जेल में पूरी करेगा।

25. धारा 21 यह निषिद्ध करती है कि कानून के साथ संघर्ष में आए किसी बच्चे को मृत्यु दंड या बिना रिहाई की संभावना के आजीवन कारावास की सजा दी जाए।

26. अधिनियम की धारा 22 के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय VIII और किसी भी निवारक निरोधक कानून को किसी भी बच्चे के खिलाफ लागू नहीं किया जाएगा।

27. धारा 23 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है कि कानून के साथ संघर्ष में आया कोई बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विचारण का सामना नहीं करेगा, जो बच्चा नहीं है।

28. धारा 24 के तहत यह संरक्षण प्रदान किया गया है कि कानून के साथ संघर्ष में आए किसी बच्चे के खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाने पर भी उसे किसी भी कानून के तहत अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, यह संरक्षण उस बच्चे को उपलब्ध नहीं होगा, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या उससे अधिक आयु का है, और उसे धारा 19(1)(आई) के तहत बाल न्यायालय द्वारा कानून के साथ संघर्ष में

पाया गया है। धारा 24 की उपधारा (2) विभिन्न परिस्थितियों में अभिलेखों के नष्ट किए जाने का प्रावधान करती है।

29. धारा 25 यह प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि तक किसी भी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही उसी बोर्ड या न्यायालय में जारी रहेंगी, जैसे कि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया हो।

30. धारा 26 में कानून के साथ संघर्ष में आए भगोड़ा बच्चों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त विवरण अध्याय IV में निहित विभिन्न प्रावधानों का विवरण प्रदान करता है, जो कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों से संबंधित प्रक्रिया को संबोधित करते हैं।

31. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016[8] के तहत, केवल नियम 10(ए) में बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों के संबंध में प्रारंभिक निर्धारण का उल्लेख किया गया है। उप-नियम (1) में उल्लेख किया गया है कि बोर्ड द्वारा सबसे पहले यह निर्धारित किया जाएगा कि बच्चा 16 वर्ष से कम या अधिक आयु का है, और यह निर्धारण अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किया जाएगा। उप-नियम (2) में उल्लेख किया गया है कि बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों, मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य ऐसे विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव हो। यह प्रावधान भी किया गया है कि जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे विशेषज्ञों के एक पैनल को उपलब्ध कराएगी, जिसे बोर्ड अपनी सहायता के लिए उपयोग कर सकता है। यदि ऐसा न हो, तो बोर्ड स्वतंत्र रूप से भी

[8] इसके बाद "मॉडल नियम" के रूप में संदर्भित

ऐसे विशेषज्ञों तक पहुँच सकता है। उप-नियम (3) यह घोषित करता है कि प्रारंभिक निर्धारण करते समय बच्चे को निर्दोष माना जाएगा, जब तक कि विपरीत प्रमाणित न हो जाए। उप-नियम (4) यह प्रावधान करता है कि यदि बोर्ड यह मानता है कि बच्चे का मुकदमा वयस्क की तरह चलाया जाना चाहिए, तो उसे उपयुक्त कारणों के साथ आदेश पारित करना होगा और उक्त आदेश की एक प्रति तुरंत बच्चे को उपलब्ध करानी होगी।

32. हम ऊपर उल्लेखित सभी प्रावधानों को उद्धृत नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल उन प्रावधानों का उल्लेख कर रहे हैं जो प्रासंगिक हैं, अर्थात् अधिनियम, 2015 की धारा 4, 14, 15, 18 और 19, साथ ही आदर्श नियमों का नियम 10ए इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> **"धारा 4: किशोर न्याय बोर्ड**
>
> (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित किसी भी बात के बावजूद, राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के तहत कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों से संबंधित अधिकारों का प्रयोग करेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
>
> (2) एक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे: एक महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होगा। (इन्हे आगे "प्रधान मजिस्ट्रेट" से संदर्भित किया जाएगा) और इसके पास कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। एवं दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुना जाएगा, जिनमें से कम से कम एक

महिला होगी। इस प्रकार गठित पीठ को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(3) कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता तब तक बोर्ड का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि—वह कम से कम सात वर्षों तक बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा, या कल्याण गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल न रहा हो, अथवा वह बाल-मनोविज्ञान, मनोरोग, समाजशास्त्र या विधि में डिग्री प्राप्त व्यावसायिक विशेषज्ञ न हो।

(4) कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह— (i) मानवाधिकार या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई पूर्व रिकॉर्ड रखता हो; (ii) नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो, और ऐसी दोषसिद्धि को निरस्त न किया गया हो या उसे पूर्ण माफी न दी गई हो; (iii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा उनके नियंत्रण वाले किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया हो; (iv) कभी भी बाल शोषण, बाल श्रम में संलिप्त रहा हो, या किसी अन्य मानवाधिकार उल्लंघन या अनैतिक कार्य में शामिल रहा हो।

(5) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रधान मजिस्ट्रेट सहित बोर्ड के सभी सदस्यों, को— देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास, कानूनी प्रावधान, और बच्चों के लिए न्याय से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान किया जाए, और यह प्रशिक्षण नियुक्ति की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर पूरा किया जाए।

(6) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल और सदस्य द्वारा इस्तीफा देने की प्रक्रिया उन नियमों के अनुसार होगी, जो निर्धारित किए जाएंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा जाँच करने के बाद, बोर्ड के किसी भी सदस्य (प्रधान मजिस्ट्रेट को छोड़कर) की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, यदि वह—

(i) इस अधिनियम के तहत निहित शक्तियों का दुरुपयोग करने का दोषी पाया जाता है;

(ii) बिना किसी वैध कारण के लगातार तीन महीनों तक बोर्ड की कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहता है;

(iii) एक वर्ष में बोर्ड की कुल बैठकों में से तीन-चौथाई (¾) बैठकों में भाग नहीं लेता है;

(iv) अपनी सदस्यता अवधि के दौरान उपधारा (4) के तहत अयोग्य हो जाता है।

xxx xxx xxx

धारा 14: विधि के उल्लंघन में संलिप्त बच्चे की बोर्ड द्वारा जांच

(1) जब किसी कानून के उल्लंघन में संलिप्त बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो—बोर्ड इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच करेगा। बोर्ड धारा 17 और धारा 18 के तहत उचित आदेश पारित कर सकता है, जैसा उसे उपयुक्त लगे।

(2) इस धारा के तहत की जाने वाली जांच बच्चे को पहली बार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो बोर्ड परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम दो महीने की अवधि तक का विस्तार कर सकता है। ऐसा

विस्तार करने से पहले बोर्ड को कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक होगा।

(3) यदि मामला जघन्य अपराध से संबंधित हो, तो— धारा 15 के तहत प्रारंभिक निर्धारण, बोर्ड द्वारा बच्चे के पहली बार प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर निपटारा करना होगा।

(4) यदि बोर्ड द्वारा धारा 14(2) के तहत जांच— लघु अपराधों के मामलों में विस्तारित अवधि के बाद भी अपूर्ण रहती है, तो कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाएगी।
परंतु गंभीर या जघन्य अपराध के मामलों में, यदि बोर्ड को जांच पूरी करने के लिए और अधिक समय चाहिए, तो— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जैसा मामला हो, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद समय अवधि में विस्तार प्रदान कर सकते हैं।

(5) बोर्ड निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएगा:

(ए) जांच शुरू करते समय, बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि— विधि के उल्लंघन में संलिप्त बालक को पुलिस, किसी अन्य व्यक्ति, अधिवक्ता या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार का शिकार न बनाया गया हो। यदि ऐसा दुर्व्यवहार पाया जाता है, तो बोर्ड उचित सुधारात्मक कदम उठाएगा।

(बी) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी मामलों में, कार्यवाही को यथासंभव सरल तरीके से संचालित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि— बच्चे के खिलाफ शुरू की

गई कार्यवाही के दौरान, उसे बाल-सुलभ वातावरण प्रदान किया जाए।

(सी) प्रत्येक बच्चे को, जिसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, सुनवाई और जांच में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा।

(डी) लघु अपराधों के मामलों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त कार्यवाही की प्रक्रिया के माध्यम से बोर्ड द्वारा निपटाया जाएगा ।

(ई) गंभीर अपराधों की जांच को बोर्ड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी, 1973) के तहत समन मामले की सुनवाई की प्रक्रिया का पालन करते हुए निपटाया जाएगा।

(एफ) जघन्य अपराधों की जांच—

(i) यदि अपराध के समय बच्चे की आयु 16 वर्ष से कम है, तो उसकी जांच उपधारा (ई) के अनुसार बोर्ड द्वारा पूरी की जाएगी।

(ii) यदि अपराध के समय बच्चे की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक है, तो उसकी जांच धारा 15 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

धारा 15: बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण

(1) यदि किसी जघन्य अपराध के लिए किसी ऐसे बालक पर आरोप लगाया गया हो, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या उससे अधिक आयु का हो, तो बोर्ड उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता का प्राथमिक निर्धारण करेगा,

जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि वह इस प्रकार का अपराध करने में सक्षम था या नहीं, उसे अपराध के परिणामों की समझ थी या नहीं, और उसने जिन परिस्थितियों में कथित रूप से अपराध किया, उनकी समीक्षा की जाएगी। इसके पश्चात बोर्ड धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

परंतु ऐसे निर्धारण के लिए, बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों, मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के उद्देश्यों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक निर्धारण कोई विचारण नहीं है, बल्कि यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि ऐसा बालक अभिकथित अपराध करने और उसके परिणामों को समझने में सक्षम है या नहीं।

(2) यदि बोर्ड प्रारंभिक निर्धारण के आधार पर संतुष्ट होता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा ही किया जाना चाहिए, तो बोर्ड यथासंभव दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत समन वाद के विचारण की प्रक्रिया का पालन करेगा।

परंतु मामले के निपटारे के लिए बोर्ड द्वारा पारित आदेश धारा 101 की उपधारा (2) के तहत अपील योग्य होगा।

इसके अतिरिक्त, इस धारा के तहत किया गया निर्धारण धारा 14 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

xxx xxx xxx

धारा 18: विधि के उल्लंघन में पाए गए बालक के संबंध में आदेश

(1) यदि किसी जांच के उपरांत बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि किसी बालक ने, उसकी आयु की परवाह किए बिना,

कोई लघु अपराध या गंभीर अपराध किया है, या यदि सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है, तो, प्रचलित किसी अन्य विधि में निहित किसी भी विरोधाभासी प्रावधान के बावजूद, अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण या हस्तक्षेप की विशिष्ट आवश्यकता, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में प्रस्तुत परिस्थितियाँ तथा बालक के पूर्व आचरण के आधार पर, बोर्ड यदि उपयुक्त समझे, तो—

(ए) उपयुक्त जांच और परामर्श के बाद बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक को परामर्श या चेतावनी देकर बालक को घर जाने की अनुमति दे सकेगा;

(बी) बालक को समूहिक परामर्श और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों में भाग लेने का निर्देश दे सकेगा;

(सी) बालक को किसी संगठन या संस्था की निगरानी में, या बोर्ड द्वारा नामित किसी विशिष्ट व्यक्ति, व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह की देखरेख में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा;

(डी) बालक, उसके माता-पिता या संरक्षक को जुर्माना अदा करने का आदेश दे सकेगा: परंतु, यदि बालक कार्यरत हो, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रचलित किसी भी श्रम कानून के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

(ई) बालक को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने और माता-पिता, संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखने का निर्देश दे सकेगा, इस शर्त पर कि ऐसा माता-पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति, बोर्ड द्वारा अपेक्षानुसार, जमानत के साथ या बिना जमानत के एक बंधपत्र निस्पदित करेगा, जिसकी अवधि तीन वर्षों से

अधिक नहीं होगी, जो बालक के अच्छे आचरण और कल्याण को सुनिश्चित करेगा।

(एफ) बालक को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने और किसी उपयुक्त संस्थान की देखरेख और पर्यवेक्षण में रखने का निर्देश दे सकेगा, ताकि बालक के अच्छे आचरण और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके, बशर्ते कि यह अवधि तीन वर्षों से अधिक न हो।

(जी) बालक को एक विशेष गृह में भेजने का निर्देश दे सकेगा, जहां उसकी अधिकतम अवधि तीन वर्षों से अधिक न हो, ताकि उसे सुधारात्मक सेवाएँ प्रदान की जा सकें, जिनमें शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श, व्यवहार संशोधन चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता शामिल हों, जो विशेष गृह में रहने की अवधि के दौरान दी जाएँ।

परंतु यदि बालक का आचरण और व्यवहार ऐसा हो की जिससे न तो बालक के हितों की सुरक्षा हो और न ही विशेष गृह में रहने वाले अन्य बच्चों के हित सुरक्षित हों, तो बोर्ड ऐसे बालक को सुरक्षित स्थान भेज सकता है।

(2) यदि उपखंड (1) की धाराओं (ए) से (जी) के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया जाता है, तो बोर्ड -

(i) बालक को स्कूल में जाने;

(ii) बालक को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में जाने;

(iii) बालक को चिकित्सीय केंद्र में जाने;

(iv) बालक को किसी निर्दिष्ट स्थान पर जाने, घूमने या उपस्थित होने से रोकना;

(v) बालक को नशामुक्ति कार्यक्रम में भाग लेने का आदेश देना।

से संबन्धित अतिरिक्त आदेश भी पारित सकता है:

(3) यदि बोर्ड धारा 15 के तहत प्रारंभिक निर्धारण करने के बाद यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक का वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है, तो बोर्ड मामले के विचारण को बाल न्यायालय में अंतरित करने का आदेश दे सकेगा, जो ऐसे अपराधों की सुनवाई करने के लिए अधिकारिता रखता है।

धारा 19: बाल न्यायालय की शक्तियाँ

(1) धारा 15 के तहत बोर्ड से प्राप्त प्रारंभिक निर्धारण के बाद, बाल न्यायालय निम्नलिखित निर्णय ले सकेगा—

(i) बालक का वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार विचारण के बाद उचित आदेश पारित कर सकेगा, बशर्ते कि इस धारा और धारा 21 के प्रावधानों का पालन किया जाए, तथा बालक की विशेष आवश्यकताओं, निष्पक्ष विचरण के सिद्धांतों और बाल-मित्र वातावरण को बनाए रखा जाए।

(ii) बालक का वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता नहीं है, और न्यायालय बोर्ड की तरह जांच कर सकता है तथा धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है।

(2) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि विधि के उल्लंघन में आए बालक के संबंध में अंतिम आदेश में व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल हो, जो बालक के पुनर्वास के लिए बनाई जाएगी। इसमें परिवीक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई भी शामिल होगी।

(3) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि विधि के उल्लंघन में पाए गए बालक को सुरक्षित स्थान में तब तक रखा जाए, जब तक वह इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता। इसके पश्चात, उसे जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

परंतु सुरक्षित स्थान में रहने की अवधि के दौरान बालक को सुधारात्मक सेवाएँ प्रदान की जाएंगी, जिनमें शैक्षिक सेवाएँ, कौशल विकास, परामर्श, व्यवहार संशोधन चिकित्सा, वैकल्पिक उपचार, और मनोवैज्ञानिक सहायता शामिल होंगी।

(4) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षित स्थान में रह रहे बालक की प्रगति का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, प्रत्येक वर्ष परिवीक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा नियमित अनुवर्ती रिपोर्ट तैयार की जाए।

(5) उपधारा (4) के तहत तैयार की गई रिपोर्टें बाल न्यायालय को भेजी जाएंगी, ताकि उन्हें अभिलेख पर रखा जा सके और आवश्यकतानुसार अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

XXX XXX XXX

नियम 10ए: बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्रारंभिक निर्धारण

(1) बोर्ड सबसे पहले यह निर्धारित करेगा कि बालक की आयु सोलह वर्ष या उससे अधिक है या नहीं। यदि बालक की आयु सोलह वर्ष से कम है, तो बोर्ड अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(2) जघन्य अपराधों के मामलों में प्रारंभिक निर्धारण करने के लिए, बोर्ड मनोवैज्ञानिकों, मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या ऐसे अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव हो। इस प्रकार के विशेषज्ञों का एक पैनल जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसकी सहायता बोर्ड ले सकता है या आवश्यकतानुसार स्वतंत्र रूप से भी इन विशेषज्ञों तक पहुंच बनाई जा सकती है।

(3) प्रारंभिक निर्धारण करते समय, बालक को निर्दोष माना जाएगा, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए।

(4) यदि बोर्ड, अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रारंभिक निर्धारण करने के बाद यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक का वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है, तो बोर्ड को इसके कारण का उल्लेख करना होगा। इसके अलावा, आदेश की प्रति तुरंत बालक को प्रदान की जाएगी।"

बोर्ड के समक्ष कार्यवाही

33. वर्तमान मामले में, अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत बोर्ड द्वारा किया गया प्रारंभिक निर्धारण विचाराधीन है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिवादी (बालक) पर वयस्क के रूप में विचारण किया जाए।

34. बोर्ड के अभिलेख में परिवीक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एस.आई.आर) उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने प्रतिवादी (बालक) के साथ दो बार बातचीत की—पहली बार, जब उसे पकड़ने के बाद बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। दूसरी बार, जब प्रारंभिक आकलन किया जा रहा था और प्रतिवादी को बोर्ड के समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, बोर्ड ने 22.11.2017 को एक विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक से भी रिपोर्ट मंगवाई।

35. प्रतिवादी की ओर से बोर्ड के समक्ष निम्नलिखित आवेदन दायर किए गए—अधिनियम, 2015 की धारा 74 के प्रावधानों का पालन करने हेतु आवेदन, तथा अन्य आवेदन सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एस.आई.आर), मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने और खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, तथा तीसरा आवेदन एवं प्रारंभिक निर्धारण को स्थगित करने के लिए, ताकि जांच एजेंसी द्वारा आदर्श नियमों के नियम 10(5) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक कार्यवाही रोकी जाए। बोर्ड ने दिनांक 13.12.2017 के आदेश द्वारा इन आवेदनों पर अलग-अलग निर्णय पारित किए। पहले, धारा 74 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया, ताकि बालक की पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दूसरे, बोर्ड ने शेष दो आवेदनों को अस्वीकार कर दिया। जहाँ तक दस्तावेजों की प्रति प्रदान करने के आवेदन का प्रश्न था, बोर्ड ने निर्णय

दिया कि इन दस्तावेजों को सुनवाई के दौरान केवल 30 मिनट के लिए दी जाएगी। तीसरे आवेदन, जिसमें कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था, को सरलता से अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद, बोर्ड ने 20.12.2017 को प्रारंभिक निर्धारण का आदेश पारित किया।

36. बोर्ड के समक्ष, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए—

(i) विधायिका का उद्देश्य कभी भी यह नहीं था कि 16 वर्ष से अधिक आयु के सभी किशोरों, जो जघन्य अपराधों में संलिप्त हैं, को वयस्क के रूप में मुकदमे का सामना करना पड़े।

(ii) अनुसंधान संस्था ने अभी तक अनुसंधान पूरी नहीं की थी, और न तो कोई अंतरिम रिपोर्ट और न ही अंतिम रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

(iii) आदर्श नियमों के नियम 10(5) का अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए बोर्ड धारा 15 के तहत प्रारंभिक निर्धारण की कार्यवाही नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे निर्धारण करने की उसकी क्षमता प्रभावित होती।

(iv) समुचित और पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एस.आई.आर) और विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों की रिपोर्ट की प्रतियां प्रतिवादी, उसके अभिभावक, या उसके अधिवक्ता को प्रदान नहीं की गईं।

(v) प्रतिवादी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास या पूर्व आपराधिक वृत्त नहीं था। प्रतिवादी द्वारा किसी भी पूर्व हिंसा की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी।

(vi) यहां तक कि विशेषज्ञों की रिपोर्टें पूरी नहीं थीं, और किसी उच्चतर संगठन द्वारा आगे के आकलन के लिए दी गई अनुशंसा का बोर्ड द्वारा पालन नहीं किया गया।

(vii) विशेषज्ञों की रिपोर्टें निर्णायक नहीं थीं।

(viii) सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एस.आई.आर) से यह भी पता चलता है कि प्रतिवादी का मित्रों, शिक्षकों और पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार था।

(ix) अंत में, यह तर्क दिया गया कि सीबीआई द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत, जिसमें कहा गया था कि अपराध को परीक्षा स्थगित कराने के उद्देश्य से किया गया था, एक संभावित कारण नहीं हो सकता।

37. बोर्ड ने सभी तर्कों पर विचार किया और धारा 15 के चार पहलुओं- अपराध करने की मानसिक क्षमता, अपराध करने की शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता, और वे परिस्थितियाँ जिनमें कथित रूप से अपराध कारित किया गया— पर विस्तृत चर्चा करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तदनुसार, बोर्ड ने धारा 18(3) के तहत आदेश पारित किया। किशोर न्याय बोर्ड के आदेश दिनांक 20.12.2017 का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत है:-

> "13. यह आरोप है कि दिनांक 08.09.2017 को, भोंडसी थाना क्षेत्र में विधि से संघर्षरत किशोर 'भोलू' ने रयान इंटरनेशनल स्कूल, भोंडसी के परिसर में 'मास्टर प्रिंस' की हत्या कर दी। अपराध के कथित कृत्य के दिन, विधि से संघर्षरत किशोर की आयु 16 वर्ष से अधिक थी। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विधि से संघर्षरत किशोर के प्रारंभिक निर्धारण और यह जानने के लिए कि— उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता क्या है, क्या वह अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता रखता है, तथा किस परिस्थितियों में उसने अभिकथित अपराध किया, बोर्ड ने दिनांक 22.11.2017 को व्यक्तिगत रूप से किशोर की सुनवाई की और उसकी क्षमता का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रश्न पूछे। विधि से संघर्षरत किशोर 'भोलू' ने सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत आत्मविश्वास के साथ दिए। बोर्ड को यह भली-भांति स्मरण है कि जब विधि से संघर्षरत किशोर

को व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया था, तो उसने उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से बताया था, जिनमें उसने वे कृत्य किए, जिनके कारण वर्तमान जाँच प्रारंभ हुई, साथ ही उसने अपराध करने की पूरी प्रक्रिया भी समझाई। अब, जब प्रारंभिक निर्धारण के लिए उसका बयान दर्ज किया जा रहा था, तो उसने एक अलग कहानी प्रस्तुत की, जिसमें उसने खुद की भूमिका को पूरी तरह से नकार दिया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किशोर अपने बचाव के लिए एक कहानी गढ़ने में भी सक्षम है, जो यह इंगित करता है कि उसमें पर्याप्त मानसिक क्षमता है।

***

16. समग्र सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार, विधि से संघर्षरत किशोर पढ़ाई में औसत से कम स्तर का छात्र है, लेकिन संगीत, विशेष रूप से पियानो बजाने में अच्छा है। वह स्वभाव से आक्रामक है और अन्य छात्रों पर चिल्लाता था। वह शराब का सेवन करता था और स्कूल परिसर में मोबाइल फोन का भी उपयोग करता था। वह अत्यधिक क्रोधी, बेचैन और अस्थिर स्वभाव वाला लड़का है। घटनाक्रम के ठीक बाद, वह परीक्षा में उपस्थित हुआ, लेकिन परेशान था और परीक्षा में कुछ नहीं लिख रहा था। जब शिक्षिका दीप्तिशिखा ने उससे पूछा, तो उसने खुलासा किया कि उसने एक बच्चे को गिरा हुआ देखा, जिसके शरीर से खून निकल रहा था, और इसी कारण वह परेशान था। इसके अलावा, किशोर अपने माता-पिता के बीच होने वाले झगड़ों के कारण भी मानसिक रूप से परेशान रहता था।

17. अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, विधि से संघर्षरत किशोर के प्रारंभिक निर्धारण के लिए बोर्ड किसी भी मनोवैज्ञानिक या अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। इस मामले में बोर्ड की राय थी कि विधि से संघर्षरत किशोर के प्रारंभिक निर्धारण के लिए मनोवैज्ञानिक की सहायता आवश्यक है, अतः इस मामले में मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट भी मांगी गई। डॉ. जोगिंदर कायरो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पी.जी.आई.एम.एस, रोहतक ने अपनी रिपोर्ट में किशोर पर दो परीक्षण किए। दोनों परीक्षणों के बाद उन्होंने पाया कि विधि से संघर्षरत किशोर का आईक्यू 95 है, जो औसत बौद्धिक क्षमता के वर्ग में आता है। आईक्यू 95 का अर्थ है कि

उसकी बुद्धिमत्ता औसत है। इस रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि आगे के आकलन की आवश्यकता हुई, तो किशोर को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़, रोहतक के इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ भेजा जा सकता है। हालांकि, इस बोर्ड का मानना है कि आगे के आकलन के लिए विधि से संघर्षरत किशोर को इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़, रोहतक भेजना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि विधि के विरुद्ध संघर्षरत किशोर का बुद्धिमत्ता औसत है।

18. सभी अभिलेखों पर विचार करने और दोनों पक्षों तथा स्वयं किशोर को सुनने के पश्चात, यह बोर्ड विचारोपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विधि से संघर्षरत किशोर भोलू में आरोपित अपराध को कारित करने की पर्याप्त मानसिक और शारीरिक क्षमता थी। साथ ही, उसमें अपने द्वारा किए गए कृत्यों के परिणामों को समझने की भी समुचित योग्यता थी।

19. भोलू एक अच्छे कद-काठी वाला लड़का है और 11वीं कक्षा में अध्ययनरत है। किशोर ने स्वयं इस बोर्ड के समक्ष कहा कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है और किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं है। **उसका आईक्यू स्तर यह दर्शाता है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उसे उसके आरोपित कृत्यों के परिणामों का ज्ञान नहीं था।** व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान, किशोर ने स्वीकार किया कि उसने इस बोर्ड के समक्ष स्वीकारोक्ति बयान दिया था, लेकिन ऐसा सीबीआई(CBI) के दबाव में किया गया था। अपनी बयान के दौरान, जब उससे एक विशेष प्रश्न किया गया कि उसने इस बोर्ड से निवेदन किया था कि वह सीबीआई (CBI) के साथ रहना चाहता है, तो उसने उत्तर दिया कि उसने ऐसा निवेदन किया था क्योंकि सीबीआई ने ऐसा करने को कहा था। इस बात की संभावना नहीं है कि सीबीआई(CBI) ने उसे प्रताड़ित किया, मारा-पीटा, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ उनके कहने पर सीबीआई के साथ रहने का अनुरोध किया। उसने यह भी कहा कि वह अच्छी तरह जानता था कि उस पर एक बच्चे की हत्या के संबंध में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता था, जबकि वह भी उसके साथ संगीत सीखता था। उसने यह भी कहा कि वह इस घटना का गवाह था

क्योंकि उसने प्रिंस को सबसे पहले घायल अवस्था में देखा था। **किशोर के व्यक्तिगत आकलन के दौरान दर्ज बयान से यह संकेत मिलता है कि वह पर्याप्त रूप से परिपक्व है। इन सभी तथ्यों से यह बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किशोर भोलू को घटना के दिन अपने कार्यों के परिणामों को समझने की पर्याप्त परिपक्वता और क्षमता थी।**

20. इस उपरोक्त चर्चा के मद्देनज़र, यह बोर्ड इस निर्णय पर पहुँचा कि विधि से संघर्षरत किशोर भोलू का वयस्क के रूप में विचारण करना आवश्यक है। अतः, अधिनियम, 2015 की धारा 18(3) के अनुसार, मामला विद्वान विशेष बाल न्यायालय, गुड़गांव को स्थानांतरित कर दिया जाता है। मामला फाइल विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, साथ ही अनुरोध किया जाए कि इसे उस माननीय बाल न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया जाए, जिसके पास इस मामले की सुनवाई की अधिकारिता हो। विधि से संघर्षरत किशोर भोलू सिंह... राघव को भी 22.12.2017 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। संपूर्ण फाइल सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ समय रहते माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव के न्यायालय को भेज दी जाए।

(जोर दिया गया)"

38. अपील में, प्रतिवादी की ओर से इसी प्रकार के तर्क बाल न्यायालय के समक्ष रखे गए, जिन्होंने इन तर्कों पर विस्तार से विचार किया और बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि की। बाल न्यायालय के आदेश दिनांक 21.05.2018 का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"17..... अतः प्रश्नगत आदेश को यह नहीं कहा जा सकता कि इसे बिना किसी मनन-चिन्तन के और विधायी प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। बोर्ड के समक्ष प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया 'जेसीएल' (विधि से संघर्षरत किशोर) का बयान, विशेषज्ञ रिपोर्टें, तथा जांच एजेंसी द्वारा वर्णित घटनाओं का क्रम, ये सभी स्पष्ट रूप से 'जेसीएल'(विधि

के विरुद्ध संघर्षरत किशोर) की मानसिक और शारीरिक क्षमता, उन परिस्थितियों को दर्शाते हैं जिनमें उसने अभिकथित रूप से 'प्रिंस'की हत्या की, और उसके द्वारा उक्त अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता को भी उजागर करते हैं। ये सभी तथ्य सीधा-सीधा अपीलकर्ता के विरुद्ध जाते हैं।

18. यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि किसी बालक का वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता के संबंध में आदेश, अधिनियम की धारा 18(3) के तहत बोर्ड द्वारा केवल जघन्य अपराधों के मामलों में प्रारंभिक निर्धारण करने के बाद ही पारित किया जाना आवश्यक है। यह आदेश केवल बोर्ड की संतुष्टि के आधार पर उसके न्यायिक विवेक के प्रयोग द्वारा पारित किया जाता है, जिसके लिए विशेषज्ञ की राय मंगवाना भी उसके विवेक पर निर्भर करता है। धारा 15(1) में स्पष्टीकरण जोड़कर यह स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक निर्धारण एक विचारण नहीं है। ऐसे आदेश के खिलाफ अधिनियम के तहत दूसरी अपील का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यह सब इंगित करता है कि विधायिका का उद्देश्य बोर्ड के विवेकाधिकार को मान्यता देना है, जो 16-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के विचारण के मंच के संबंध में निर्णय लेता है, जब वे किसी जघन्य अपराध के आरोप का सामना कर रहे होते हैं। यदि इस अधिकार का कोई स्पष्ट दुरुपयोग नहीं किया गया है और कोई ऐसी अनियमितता नहीं है जो मामले की गहराई को प्रभावित करती हो, तो बोर्ड द्वारा किए गए विवेकाधिकार के प्रयोग का सम्मान किया जाना आवश्यक है।

19. निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, यह न्यायालय धारा 3(x) और 99 के तहत सांविधिक प्रावधानों पर भी टिप्पणी करना चाहेगा, क्योंकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने इन प्रावधानों के संबंध में विस्तृत रूप से तर्क प्रस्तुत किया है। धारा 99 के उपखंड (I) के अनुसार, बालक से संबंधित सभी रिपोर्टें, जिन्हें समिति या बोर्ड द्वारा विचार किया गया है, उन्हें गोपनीय माना जाएगा। उपबंध में यह प्रावधान है कि समिति या बोर्ड, जैसा कि मामला हो, यदि उन्हें उचित लगे, तो रिपोर्ट की विषयवस्तु को किसी अन्य समिति या बोर्ड, या बालक, या बालक के माता-पिता/संरक्षक को भी

संप्रेषित कर सकते हैं, तथा ऐसे समिति या बोर्ड या बालक, या माता-पिता/संरक्षक को रिपोर्ट में उल्लिखित मामले से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। उपखंड (II) के अनुसार, धारा 99 में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, पीड़ित को उनके केस रिकॉर्ड, आदेशों और संबंधित कागजातों तक पहुँच से वंचित नहीं किया जाएगा। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने उपखंड (II) पर विशेष जोर देते हुए यह तर्क दिया है कि चूंकि धारा 3(x) में यह सुनिश्चित किया गया है कि पीड़ित को केस रिकॉर्ड और संबंधित कागजातों तक पहुँच से वंचित नहीं किया जाएगा, और अधिनियम के तहत कार्यवाही में समानता के सिद्धांत को मान्यता देते हुए यह स्थापित किया गया है कि किसी भी आधार पर – चाहे वह लिंग, जाति, या पहुँच, अवसर और उपचार की समानता हो – बालक के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अतः बालक/'जेसीएल' को भी पीड़ित के समान गोपनीय रिपोर्टों तक पहुँच का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने अपीलकर्ता को उपलब्ध कराने से मना कर दिया है। यह न्यायालय पाता है कि धारा 99 के प्रावधानों द्वारा बालक/'जेसीएल' के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। एक बार जब धारा 99 यह घोषित कर देती है कि सभी रिपोर्टों को गोपनीय रूप से माना जाएगा, तो वे दोनों पक्षों के लिए गोपनीय रहेंगी, और यहां तक कि पीड़ित के पास भी ऐसी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, जिसमें कहा गया हो कि पीड़ित को केस रिकॉर्ड, आदेशों और संबंधित कागजातों तक पहुँच से वंचित नहीं किया जाएगा। पीड़ित को गोपनीय रिपोर्टों तक पहुँच प्रदान करना स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं है, जबकि उपखंड (II) के अंतर्गत उन्हें अन्य सभी संबंधित कागजात और केस रिकॉर्ड तक पहुँच दी जाती है। अतः धारा 99 के उपखंड (I) का प्रावधान प्रधान रहेगा, जो सभी के लिए उक्त पहुँच को प्रतिबंधित करता है। चूंकि वर्तमान मामले में पीड़ित को कभी गोपनीय रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है, अतः यह अपीलकर्ता/'जेसीएल' के पक्ष में नहीं कहा जा सकता कि उन्हें गोपनीय रिपोर्टों तक पहुँच के अधिकार में भेदभाव किया जा रहा है।

20. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनज़र, प्रश्नगत आदेश से यह स्पष्ट होता है कि किशोर न्याय बोर्ड ने मामले की शुद्धता, विधिकता और औचित्य पर विचार किया है तथा अपीलकर्ता से संबंधित तथ्यात्मक निष्कर्ष देते समय किसी भी अनियमितता से कार्य नहीं किया। प्रश्नगत आदेश में कोई अवैधता, विडम्बना या त्रुटि नहीं पाई जाती है। अपील में कोई ठोस आधार नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। अतः, अपील खारिज कर दी जाती है। मामले के कागजात को "राज्य बनाम भोलु" शीर्षक वाले मुख्य केस फाइल के साथ दस्तावेज़ संलग्न किए जाएं, जिसे 04.07.2018 को आरोप के बिन्दु पर पक्षों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

39. दिनांक 21.05.2018 को बाल न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकृत किया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा बोर्ड द्वारा पारित प्रश्नगत दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया। इसके पश्चात, उच्च न्यायालय ने मामले को बोर्ड के समक्ष नए सिरे से विचारण हेतु भेज दिया, जिसमें यह आकलन किया जाए कि विधि का उल्लंघन करनेवाला बालक कितनी बुद्धिमत्ता, परिपक्वता और शारीरिक क्षमता रखता है तथा किस हद तक वह अपराध के परिणामों को जानने में सक्षम था। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि आवश्यक कार्रवाई छह सप्ताह की अवधि के भीतर की जाए और प्रारंभिक निर्धारण करते समय सरकारी अस्पताल के मनोवैज्ञानिक का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए।

40. उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मुद्दे थे:

(i) प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ क्योंकि उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया;

(ii) बोर्ड द्वारा जिन दस्तावेज़ों पर भरोसा किया गया, उनकी प्रतियां प्रतिवादी को प्रदान नहीं की गईं;

(iii) विशेषज्ञों की रिपोर्ट अधूरी थी;

(iv) विशेषज्ञ द्वारा बच्चे को उच्च संगठन में मूल्यांकन के लिए भेजने की सिफारिश पर बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की।

(v) विशेषज्ञों द्वारा किए गए दोनों परीक्षण स्पष्ट रूप से प्रासंगिक नहीं थे और विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित थे;

(vi) यह कि बोर्ड और बाल न्यायालय के पास इस बात का निर्धारण करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि प्रतिवादी अपराध के परिणामों को कैसे जनता था और साथ ही उन परिस्थितियों में कैसे अभिकथित तौर पर अपराध किया;

(vii) बोर्ड और बाल न्यायालय के निष्कर्ष बिना किसी सामग्री और तर्क के थे।

41. उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

"...धारा 15 के परंतुक के अनुसार, बोर्ड को प्रारंभिक निर्धारण करने के लिए किसी अनुभवी मनोवैज्ञानिक या अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेने का प्रावधान है। यह स्पष्ट रूप से 20.12.2017 को बोर्ड द्वारा पारित आदेश के पैरा संख्या 17 में उल्लेखित है कि यदि किसी विशेषज्ञ की राय/सहायता आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त किया जाए। यह आवश्यक है कि किशोर की मानसिक क्षमता का निर्धारण किया जाए। यह बोर्ड के लिए अनिवार्य था कि अभिकथित अपराधी की मानसिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाए कि वह ऐसा अपराध करने में सक्षम है या नहीं, और साथ ही परिणामों को समझने की उसकी क्षमता भी। आदेश से यह भी स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक ने स्वयं सुझाव दिया है कि यदि किसी अन्य निधारण की आवश्यकता हो, तो किशोर को रोहतक के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान भेजा जा सकता है। हालांकि, इसे बोर्ड द्वारा पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है। तथा निर्धारण अनुचित परीक्षणों पर आधारित है, अर्थात्, रंगीन प्रगतिशील मैट्रिक्स *(सीपीएम)* और भारतीय बच्चों के लिए मालिन का बुद्धि पैमाना *(ऍम आई एस आई सी)* जो 5 से 11½ और 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित हैं, का उपयोग 16½ वर्ष के बच्चे की मानसिक क्षमता निर्धारण के आधार के रूप में किया गया है। दोनों, बोर्ड और अपीलीय प्राधिकरण ने इस तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। याचिकाकर्ता ने इसी विषय पर मनोवैज्ञानिक का प्रतिपरीक्षण करना चाहा, परंतु उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई। सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट भी स्वयं विरोधाभासी है और यह विचारण के योग्य नहीं है। संदर्भित परीक्षणों की प्रतियाँ याचिकाकर्ता/ अभिभावकों / संरक्षक को प्रदान नहीं की गई थीं, बल्कि यह सुनवाई से ठीक पहले दिखाई गई थीं। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए 35 पृष्ठों की रिपोर्ट को 30 मिनट से भी कम समय में समझना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। हालांकि, 30 मिनट के समय में, याचिकाकर्ता को डॉ. जोगिंदर सिंह

कैरो, क्लिनिक मनोवैज्ञानिक की रिकॉर्ड देखने का मौका मिला। इससे पता चला कि उन्होंने दो परीक्षणों के आधार पर मूल्यांकन किया था, अर्थात् *(i)* रंगीन प्रगतिशील मैट्रिक्स *(*सीपीएम*)* और *(ii)* भारतीय बच्चों के लिए मालिन का बुद्धि पैमाना *(*ऍम आई एस आई सी*)* याचिकाकर्ता (जिसका प्रतिनिधित्व उसके पिता कर रहे थे) और उसके अधिवक्ता को इन परीक्षणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाद में, उन्होंने इन परीक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया और यह पता चला कि ये परीक्षण याचिकाकर्ता के मामले के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक थे और इनका उपयोग उसकी मानसिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए नहीं किया जा सकता था। क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजी पर राधे श्याम और अज़ीज़ुद्दीन खान द्वारा लिखित मूल पुस्तक स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि मालिन का बुद्धि पैमाना टेस्ट 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता की आयु परीक्षण के समय 16.75 वर्ष थी, इसलिए उस पर किए गए ये परीक्षण उपयुक्त नहीं थे, जिससे गलत परिणाम प्राप्त हुए। उक्त विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में स्वयं कहा कि आगे का निर्धारण उच्च प्राधिकरण द्वारा किया जाना उचित होगा। इससे याचिकाकर्ता को तथाकथित विशेषज्ञों की योग्यता पर संदेह हुआ। केवल इसी कारण से, याचिकाकर्ता ने न केवल रिपोर्टों की प्रतियाँ मांगीं, बल्कि उनका प्रति परीक्षण करने की भी इच्छा जताई, ताकि विशेषज्ञों और उनकी रिपोर्टों की शुद्धता तथा योग्यता की जांच की जा सके। हालांकि, याचिकाकर्ता को इसकी अनुमति नहीं दी गई, जबकि इस संबंध में उसने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया था और आवश्यक दलीलें भी पेश की थीं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना हुई। याचिकाकर्ता का आईक्यू टेस्ट तब किया गया जब वह 16 वर्ष 9 महीने से अधिक उम्र का था। 16.75 वर्ष की आयु में 95 का आई क्यू प्राप्त होने का अर्थ, किसी भी बच्चे की मानसिक आयु निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सूत्र (मानसिक आयु/जैविक आयु x 100) के अनुसार, अनिवार्य रूप से 15.67 वर्ष होगा। इसका मतलब है कि तथाकथित विशेषज्ञ की

रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता-बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष से कम मानी गई है। यहां तक कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार भी, याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से 16 वर्ष से कम माना गया। चूंकि संदर्भित परीक्षण किसी भी मामले में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए हैं, इसलिए इन परीक्षणों द्वारा निर्धारित 95 का आई क्यू, स्पष्ट रूप से, किसी भी स्थिति में 15 वर्ष से काफी कम मानसिक आयु के बराबर होगा....

xxxx

अपीलीय न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता/ संरक्षक/ अभिभावक को गवाहों के बयान या दस्तावेज़ आदि प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो कि अधिनियम की धारा 8(3) के साथ पढ़ी गई धारा 3(iii) और (xvi) तथा नियम 10(5) के प्रावधानों के साथ पूरी तरह से विरोधाभासी है। वास्तव में, अधिनियम के सभी प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, ताकि अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

हालांकि, प्रतिवादी -सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि गोपनीयता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट/दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिवादी-सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता की दलील वास्तव में बच्चे की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उसे किसी तीसरे पक्ष से सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। इसकी व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती कि एक अभिकथित दोषी ठहराए गए बच्चे को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं मिल पाये, जबकि अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार, प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चे और उसके अभिभावक या संरक्षक की भागीदारी आवश्यक है। धारा 3 विशेष रूप से यह उल्लेख करती है कि एक सकारात्मक व्याख्या अपनाई जानी चाहिए ताकि ऐसा वातावरण बनाया जा सके जिसमें बच्चा सहज महसूस करे। गोपनीयता की आवश्यकता केवल तीसरे पक्ष के संदर्भ में होती है ताकि बच्चे के हितों की रक्षा की जा सके। समिति या बोर्ड द्वारा विचार किए गए और बच्चे से संबंधित सभी रिपोर्टों को परंतुक के अधीन गोपनीय रूप से माना जाना आवश्यक है।

यहां तक कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी बोर्ड और अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान स्वीकार किया कि उसके पास ऐसे अधिकारी नहीं हैं जो विशेष रूप से बच्चों से संबंधित जांच करने के लिए प्रशिक्षित हों। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास इस अधिनियम के विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। ये सभी तर्क अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उन्हें विचार में नहीं लिया गया।

प्रतिवादी-सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि इस न्यायालय की पुनरीक्षण याचिका में हस्तक्षेप करने की सीमित अधिकारिता है, कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि अधिनियम की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई गैरकानूनी कार्यवाही, विसंगति या अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन न किया गया हो, तो इस न्यायालय को पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त है। इस दृष्टिकोण का समर्थन जगन्नाथ चौधरी बनाम रामायण सिंह *[2002(2)* आरसीआर *(*आपराधिक*) 813]* और राजिंदर सिंह बनाम विशाल डिंगरा *[2015(8)* आरसीआर *(*आपराधिक*) 453]* मामलों में प्रतिपादित विधि निर्णयों से किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों और विधिक स्थिति के मद्देनज़र, वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाता है और किशोर न्याय बोर्ड, गुरुग्राम द्वारा दिनांक 20.12.2017 को पारित आदेश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम द्वारा दिनांक 21.05.2018 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। मामला बोर्ड को नए सिरे से विचारण हेतु वापस भेजा जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कानून के उल्लंघन में संलिप्त किशोर की बुद्धिमत्ता, परिपक्वता, शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाए और यह समझा जाए कि वह अपराध के परिणामों को समझने की स्थिति में था या नहीं। इस आवश्यक प्रक्रिया को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि प्रारंभिक निर्धारण के दौरान, किसी सरकारी अस्पताल के मनोवैज्ञानिक की राय ली जाए।

<u>शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता की ओर से तर्क:</u>

42. शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता की ओर से श्री सुशील टेकरीवाल, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का सारांश निम्नलिखित हैं:

(i) 'बच्चे का सर्वोत्तम हित' या 'निर्दोषता का अवधारणा' आदि का अर्थ आपराधिक आरोपों से प्रतिरक्षा नहीं है। अधिनियम का उद्देश्य विधि के उल्लंघन में संलिप्त बच्चे का सुधार करना और साथ ही उन्हें दंडात्मक परिणामों के अधीन करना है।

(ii) 16-18 वर्ष के वे बच्चे, जिन्हें जघन्य अपराधों के लिए अभियोजित किया जाता है, को विधायिका द्वारा एक अलग वर्ग में रखा गया है, अतः उन्हें सुरक्षा कवच से वंचित किया जा सकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य जघन्य अपराधों के आरोपी को आश्रय प्रदान करना नहीं है।

(iii) प्रतिवादी ने 2015 के अधिनियम की धारा 15 में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया है और बोर्ड ने सही तरीके से यह निर्णय दिया कि उसे वयस्क के रूप में विचारण किया जाना चाहिए।

(iv) कानून स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की मदद ले सकता है. यहाँ "सकेगा" शब्द को केवल "सकेगा" के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए, और जिस अधिनियम पर सवाल उठाया जा रहा है, उसकी विधायी क्षमता विवाद का विषय नहीं है। यहां तक कि अधिनियम, 2015 की धारा 101(2) भी चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के संबंध में "सकेगा" शब्द का उपयोग करती है।

(v) चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों को चिकित्सा विशेषज्ञों पर छोड़ दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इस प्रकार के मामलों में न्यायालय के पास विशेषज्ञता नहीं होती। चिकित्सा बोर्ड की राय अंतिम होती है और इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती।

(vi) सामाजिक और चिकित्सीय रिपोर्ट सभी संबंधित पक्षकारों को प्रदान की गई थी। हालांकि, प्रतिपरिक्षण के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि धारा 15 केवल एक प्रारंभिक निर्धारण है, न कि एक

विचारण। इसके अलावा, अधिनियम, 2015 की धारा 99 के अनुसार, बोर्ड द्वारा विचार की गई बच्चे से संबंधित सभी रिपोर्टों को गोपनीय माना जाना चाहिए।

(vii) उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार धारा 102 के तहत सीमित है, और इसका अधिकार केवल अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों को मंगवाकर उनकी विधिकता और औचित्य की जांच करने तक ही सीमित है।

(viii) निचली दो अदालतों द्वारा दी गई समान निर्णयों में कोई अवैधता नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का अत्यधिक विस्तार कर दिया, क्योंकि उसने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और अन्य विभिन्न तथ्यात्मक पहलुओं की शुद्धता की जांच शुरू कर दी।

(ix) मामले को नए सिरे से विचारण हेतु भेजने का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है, क्योंकि इसे क्रियान्वित कर पाना असंभव हो चुका है।

(x) उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, श्री सुशील टेकरीवाल ने निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों को संदर्भित किया है:

(ए)* किशन पासवान बनाम भारत संघ *(*सिविल विविध रिट याचिका सं. *5044/2020) {*पैराग्राफ *28(97)* और *35(v)},

(बी)* मुकर्रब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, *(2017) 2* एस सी सी *210 (*पैराग्राफ *27),

(सी)* नियंत्रक डिफेंस अकाउंट्स *(*पेंशन*)* एवं अन्य बनाम एस. बालाचंद्रन नायर, *(2005) 13* एस सी सी *128,

(डी)* अमित कपूर बनाम रमेश चंद्र एवं अन्य, *(2012) 9* एस सी सी *469 (*पैराग्राफ *12* और *13),

(ई)* राजेंद्र राजोरिया बनाम जगत नारायण थपक एवं अन्य, *(2018) 17* एस सी सी *234,

(एफ)* जबर सिंह बनाम दिनेश, *(2010) 3* एस सी सी *757,

(जी) **चंदावरकर सीता रत्ना राव बनाम आशालता एस. गुरम,** *(1986) 4* **एस सी सी** *447,*

(एच) **मदनलाल फकीरचंद दुधेया बनाम एस. चांगदेव शुगर मिल्स,** *1962* **एआईआर** *1543,*

(आई) **चिन्नामार कथियाम बनाम अय्यवू, ए.आई.आर.** *1982 SC 137,*

(जे) **ज्योति प्रकाश राय @ ज्योति प्रकाश बनाम बिहार राज्य,** *(2008) 15* **एस सी सी** *223,* **और**

(के) **कैंट बनाम यूनाइटेड स्टेट्स** *(383,* **यूएस** *541, 1966)*।

<u>अपीलकर्ता- सीबीआई की ओर से प्रस्तुत तर्क:</u>

43. श्री विक्रमजीत बनर्जी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जो अपीलकर्ता-सीबीआई (सी बी आई)की ओर से पेश हुए, उनके तर्कों को संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है:

(i) सीबीआई के अधिवक्ता ने 2015 अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि 2000 अधिनियम के तहत स्थापित प्रणाली 16-18 वर्ष के अपराधियों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं मानी गई है। इसके साथ ही, इस आयु वर्ग में जघन्य अपराधों में तेजी से वृद्धि होने की बात भी स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला डाला गया, जो 16 वर्ष से ऊपर के बच्चों द्वारा जघन्य अपराधों के लिए प्रारंभिक निर्धारण

करने का प्रावधान रखता है, जिसे बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाना है, और इसमें अनुभवी मनोवैज्ञानिकों, मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है।

(iii) यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह प्रारंभिक निर्धारण विचारण से भिन्न है।

(iv) 2015 के अधिनियम की धारा 103 का भी उल्लेख किया गया, जिसमें मुकदमों के दौरान बोर्ड जांच के लिए, जहां तक संभव हो, दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा समन मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता बताई गई।

(v) आदर्श नियमों की धारा 10 और 10A पर भी जोर दिया गया। धारा 10A के अनुसार, बोर्ड को प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता लेने की अनुमति है, जिसे बोर्ड ने अपनाया है।

(vi) नियम 10(5) का प्रावधान करता है कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए साक्षियों के बयानों और अनुसंधान के दौरान प्राप्त अन्य दस्तावेजों को, बच्चे को बोर्ड के समक्ष पहली बार पेश किए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इनकी प्रतियाँ बच्चे या उसके अभिभावक/संरक्षक को प्रदान की गयी, इस पर भी जोर दिया गया।

(vii) अधिनियम, 2015 के तहत यह आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक निर्धारण से पहले अंतिम जांच पूरी की जाए। इसके अलावा, अधिनियम, 2015 अधिकतम सीमा तक दंड प्रक्रिया संहिता (दं प्र सं) का पालन करने की अनिवार्यता रखता है, अतः इसी के अनुरूप, आरोपी को जांच के दौरान केस डायरी प्रदान नहीं की जा सकती। इसके संदर्भ में अधिनियम, 2015 की धारा 99 का उल्लेख किया गया है, जो गोपनीयता से संबंधित है। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आदर्श नियमों के नियम 10(5) को भी साथ में पढ़ा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत निर्णय देकर त्रुटि की है।

(viii) प्रारंभिक निर्धारण के लिए, बोर्ड को बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता पर विचार करना आवश्यक है कि क्या वह अपराध करने में सक्षम था। यह निर्धारण उस तिथि से तीन महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जब बच्चे को पहली बार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, पुनः निर्धारण की अनुमति नहीं है।

(ix) उच्च न्यायालय के निर्णय पर यह भी आक्षेप लगाया गया कि मनोवैज्ञानिक के प्रति परीक्षण की आवश्यकता और विशेषज्ञ की रिपोर्टों को प्रतिवादी या उसके अभिभावकों को प्रारंभिक निर्धारण से पहले उपलब्ध कराना त्रुटिपूर्ण था।

(x) बोर्ड के समक्ष बच्चे की पहली बार प्रस्तुति की तिथि से एक महीने के भीतर जांच पूरी करने और प्रारंभिक निर्धारण से पहले बच्चे या उसके

माता-पिता को अंतिम रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया गया।

(xi) सीबीआई ने यह साबित करने का प्रयास किया कि भोलू के साथ बाल-सुलभ तरीके से व्यवहार किया गया और अधिनियम, 2015 के अनुसार उसकी जांच की गई। उसे उसके पिता और अन्य आवश्यक अधिकारियों की उपस्थिति में गिरफ्तार किया गया।

(xii) सीबीआई का दावा है कि भोलू से सतर्कता और सौहार्दपूर्ण तरीके से पूछताछ की गई, जिसमें परिवीक्षा एवं बाल कल्याण अधिकारी तथा स्वतंत्र गवाह उपस्थित थे। इसके अलावा, उसने स्वेच्छा से प्रिंस की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और गिरफ्तारी के बाद उसे लॉकअप में रखने के बजाय एक पर्यवेक्षण गृह भेजा गया।

(xiii) चूंकि सीबीआई अपनी जांच को संतोषजनक रूप से पूरा करने में असमर्थ रही, इसलिए बोर्ड ने भोलू को तीन दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने की अनुमति दी। इस दौरान, एक बोर्ड सदस्य उसकी निगरानी में रहेगा, और हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उसे सेवा कुटीर (पर्यवेक्षण गृह) में रखा गया।

(xiv) उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, श्री विक्रमजीत बनर्जी ने निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों को संदर्भित किया:

***(ए)* बालकराम बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य (2017) 7 एस सी सी 668**

***(बी)* शिल्पा मित्तल बनाम एनसीटी राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील सं. 34/2020,**

***(सी)* जी. सुंदरराजन बनाम भारत संघ एवं अन्य (2013) 6 एस सी सी 620.**

<u>प्रतिवादी-भोलू की ओर से प्रस्तुत तर्क:</u>

44. प्रतिवादी की ओर से श्री सिद्धार्थ लुथरा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

(i) अधिनियम, 2015 में मुख्य संशोधन 16 से 18 वर्ष के लिए बनाए गए अपवाद में निहित है। अधिनियम, 2015 की धारा 2(33) के तहत परिभाषित जघन्य अपराधों के मामलों में, एक बालक को वयस्क के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते कि उसकी जांच धारा 14 और 15 के अनुसार की जाए। इस न्यायालय ने यह माना है कि अधिनियम की संरचना की व्याख्या करते समय बच्चों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए, और उन्हें वयस्क के रूप में मानना सामान्य नियम का अपवाद है।

(ii) अधिनियम के तहत किसी भी जांच का संचालन करते समय, बोर्ड को अधिनियम की संपूर्ण संरचना और उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है।

(iii) अधिनियम, 2015 के अनुसार, अनुसंधान अधिकारी एक प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी होना चाहिए, जो बच्चों के साथ व्यवहार करने में सक्षम हो और जिसे विशेष रूप से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सी.डब्लू.पी ओ) के रूप में नामित किया गया हो। हालांकि, इस मामले में, जांच अधिकारी अधिनियम के तहत नामित सी डब्लू पी ओ नहीं था। इसके अलावा, धारा 107 के अनुसार, एक विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया जाना आवश्यक है, जो विशेष रूप से बच्चों के मामलों को संभाले और जिसके अधिकारी उपयुक्त योग्यता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त किए हुए हों।

(iv) बच्चे को पुलिस हिरासत में रखा गया और बाद में उससे जबरन स्वीकारोक्ति करवाई गई, जिसे बोर्ड ने अपने निर्णय का आधार बनाया। यह नियम 8(3)(v) और अधिनियम, 2015 की धारा 3(i) में निहित निर्दोष होने की अवधारणा के सिद्धांत के विपरीत है, जिसे आदर्श नियमों के नियम 10A(3) के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

(v) सुनवाई से पहले बच्चे को दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने के कारण धारा 8(3)(ए) और 8(3)(बी), धारा 14(5)(सी) तथा धारा 3 का उल्लंघन हुआ। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए केवल 30 मिनट का समय दिया जाना अपर्याप्त था।

(vi) मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की तिथि पर प्रतिवादी की आयु 16 वर्ष 7 महीने थी। हालांकि, उस पर जो परीक्षण लागू किए गए, वे केवल 11 वर्ष तक (सीपीएम) और 15 वर्ष तक (मालिन्स) के बच्चों के लिए उपयुक्त थे।

मनोवैज्ञानिक डॉ. कैरो के अनुसार, प्रतिवादी सहयोगी और संवादात्मक पाया गया। किए गए परीक्षणों के आधार पर उसका आई क्यू स्तर 95 दर्ज किया गया। इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया कि "यदि आवश्यक हो, तो आगे के मूल्यांकन के लिए उसे स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान भेजा जा सकता है।"

(vii) अपीलकर्ताओं द्वारा अधिनियम, 2015 की धारा 99 के तहत इस तर्क को चुनौती दी गई कि प्रतिवादी को प्रारंभिक मूल्यांकन से पहले रिकॉर्ड तक पहुंचने का अधिकार नहीं है। धारा 14(5)(सी) यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक बच्चे को, जिसे बोर्ड के समक्ष लाया जाता है, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसे जांच में भाग लेने की अनुमति होगी। इसके अलावा, नियम 10(5) यह भी निर्धारित करता है कि गवाहों के बयान की प्रति बच्चे, उसके माता-पिता या अभिभावक को प्रदान की जानी चाहिए।

(viii) महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा लोकसभा में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2014 पर हुई चर्चा के दौरान दिए गए बयान पर भरोसा किया गया है। मंत्री ने यह स्पष्ट किया था कि बोर्ड का मूल्यांकन एकतरफा नहीं होगा, बल्कि बोर्ड बच्चे के दृष्टिकोण को भी उचित रूप से ध्यान में रखेगा।

(ix) सीबीआई द्वारा आदर्श नियमों के नियम 10(5) को सीमित रूप से पढ़ने की अपील के संबंध में, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस नियम की पुनर्व्याख्या का मुद्दा उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष

लिखित कथन को दाखिल करने से पहले कभी उठाया ही नहीं गया था। इसके अतिरिक्त, किसी प्रावधान को केवल तभी सीमित रूप से पढ़ा जा सकता है, जब उसे असंवैधानिक या अवैध घोषित होने से बचाना आवश्यक हो, जो इस मामले में लागू नहीं होता। चूंकि इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए इसे सीमित रूप से पढ़ने का कोई भी प्रयास अधिनियम के उद्देश्यों के विपरीत होगा।

(x) बोर्ड द्वारा "चतुर" जैसे शब्दों का प्रयोग करना और कथित स्वीकारोक्ति को प्रतिवादी के विरुद्ध पढ़ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम, 2015 की धारा 3(i) (निर्दोष होने की अवधारणा) और आदर्श नियमों के नियम 10A(3) के विरुद्ध जाता है। साथ ही, धारा 3(viii) स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि बच्चे के लिए किसी भी प्रकार के विरोधात्मक या दोषारोपण वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(xi) बोर्ड इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि प्रतिवादी ने स्वयं यह बयान दिया था कि सीबीआई ने उसे अंदर बुलाया, पीटा और जबरन बयान देने के लिए मजबूर किया। इसके बावजूद, बोर्ड ने गलत निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी के पास अपराध करने की पर्याप्त मानसिक और शारीरिक क्षमता थी।

(xii) दिनांक 20.12.2017 के आदेश में, बोर्ड ने प्रतिवादी के कथित स्वीकारोक्ति को उसके विरुद्ध पढ़ा। हालांकि, बाद में बोर्ड ने स्वयं यह कहा कि इस

चरण में यह देखना प्रासंगिक नहीं है कि— क्या विधि के विरुद्ध संघर्षरत किशोर (जे सी एल) दोषी है या नहीं, क्या उसने वास्तव में अपराध स्वीकार किया है या नहीं, यदि स्वीकार किया है, तो क्या वह स्वेच्छा से किया गया था या दबाव में।

(xiii) जिन परिस्थितियों में अभिकथित रूप से बच्चे ने अपराध किया, उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही चार्जशीट उपलब्ध कराई गई ताकि बोर्ड अपनी राय बना सके।

(xiv) धारा 15 और धारा 101(2) में प्रयुक्त "सकेगा" शब्द की व्याख्या "होगा" के रूप में की जानी चाहिए।

(xv) यह ध्यान देने योग्य है कि न तो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एसआईआर) और न ही डॉ. जोगिंदर कैरो की रिपोर्ट में बच्चे की मानसिक आयु का उल्लेख मिलता है। डॉ. कैरो ने आगे के मूल्यांकन की सलाह दी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और बोर्ड ने बिना अतिरिक्त मूल्यांकन के बच्चे की आयु निर्धारित कर दी।

(xvi) अधिनियम की धारा 102 यह अनुमति देती है कि कानूनी वैधता और औचित्य के आधार पर पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने सही ढंग से बोर्ड और सत्र न्यायालय की तर्कहीनता को पहचाना और उचित रूप से उक्त आदेशों को निरस्त कर दिया।

(xvii) प्रतिवादी अभी भी अवलोकन गृह में है और उसने 4.5 वर्ष हिरासत में बिताए हैं। इस अवधि के दौरान, उसने विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ बातचीत की है और उस पर कई गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया। अब इस स्तर पर उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता तथा समझ का सही मूल्यांकन करना संभव नहीं होगा। न्याय के हित में, उसे एक वयस्क के रूप में नहीं, बल्कि एक बच्चे के रूप में ही माना जाना चाहिए, क्योंकि उसने अधिनियम, 2015 की धारा 14 और 15 के तहत प्राप्त अपने बहुमूल्य अधिकार खो दिए हैं।

(xviii) उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, श्री सिद्धार्थ लूथरा ने निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों पर भरोसा किया है:

(ए) शिल्पा मित्तल बनाम एनसीटी राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील सं. 34/2020 (पैरा 1, 30, 31 और 34)

(बी) बछाहन देवी एवं अन्य बनाम नगर निगम, गोरखपुर (2008) 12 एस सी सी 372

(सी) अंकुश शिवाजी गायकवाड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 6 एस सी सी 770 (पैरा 52 और 53)

(डी) ट्रावनकोर बैंक बनाम मोहम्मद मोहम्मद खान (1981) 4 एस सी सी 82 (पैरा 19 से 23)

(ई) सोम प्रकाश रेखी बनाम भारत संघ (1981) 1 एस सी सी 449 (पैरा 63)

(एफ) प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य (2005) 3 एस सी सी 551 (पैरा 7 और 10)

(जी) सलिल बली बनाम भारत संघ एवं अन्य (2013) 7 एस सी सी 705 (पैरा 43 और 63)

(एच) बॉम्बे प्रांत बनाम कसूलदास एस. अडवाणी, 1950 एस सी आर 621 (पैरा 16)

(आई) आंध्र प्रदेश राज्य बनाम ए.पी. वक्फ बोर्ड, 2022 एस सी सी ऑनलाइन एससी159 (पैरा 143)

(जे) सुपरींटरेंडेंट एवं रिमेम्ब्रांसर ऑफ लीगल अफेयर्स, पश्चिम बंगाल बनाम सत्येन भौमिक (1981) 2 एस सी सी 109 (पैरा 20 से 22)

(के) नित्या धरामनंद बनाम गोपाल शीलम रेड्डी, (2018) 2 एस सी सी 93 (पैरा 5 से 9)

(एल) इन रे: क्रिमिनल ट्रायल्स गाइडलाइंस रिगार्डिंग इनएडक्वेसीज़ एंड डेफिशिएंसीज़ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (2021) 10 एस सी सी 598 (पैरा 11)

(एम) भारत संघ बनाम इंडस्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड (2011) 4 एस सी सी 635

(एन) नाजिर अहमद बनाम किंग एम्परर, 1936 आईएलआर 372 (पृष्ठ 378 से 383)

(ओ) द किंग बनाम सॉ मिन, 1938 एस सी सी ऑनलाइन रंग 68 (पृष्ठ 1, 10)

(पी) महाबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2001) 7 एस सी सी 148 (पृष्ठ 19, 21, 22)

(क्यू) ऑप्टो सर्किट इंडिया लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक (2021) 6 एस सी सी 707 (पैरा 14)

(आर) अलोके नाथ दत्ता एवं अन्य बनाम बंगाल राज्य (2007) 12 एस सी सी 230 (पैरा 104)

(एस) शरत बाबू दिगुआमर्ती बनाम दिल्ली एनसीटी (2017) 2 एस सी सी 18 (पैरा 37)

(टी) फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम लेबर कोर्ट (1985) 3 एस सी सी 103 (पैरा 15 से 17)

(यू) दिल्ली नगरपालिका बनाम गिरधरिलाल सप्रु (1981) 2 एस सी सी 758 (पैरा 5)

(वी) रामगोपाल गणपत राय रुइया बनाम बॉम्बे राज्य (1958) एस सी आर 618 (पैरा 15)

(डब्ल्यू) एम्परर बनाम एन.जी. चटर्जी, ILR 1946 ALL 553 (पैरा 5 से 8, 10, 14)

(एक्स) कृष्णन बनाम कृष्णावैनी (1997) 4 एस सी सी 241 (पैरा 8)

(वाई) राजेश्वर सिंह बनाम सुब्रता रॉय सहारा (2013) 14 एस सी सी 257 (पैरा 26)

(जेड) अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994) सप (1) एस सी सी 145 (पैरा 58–60)

(एए) यूनियन कार्बाइड कॉर्प. बनाम भारत संघ (1991) 4 एस सी सी 584 (पैरा 83)

(बीबी) ऑन मोल्डिंग ऑफ़ रिलीफ – एम. सिद्दीक (डेड) थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव (राम जन्मभूमि मंदिर केस) बनाम महंत सुरेश दास एवं अन्य (2020) 1 एस सी सी 1 (पैरा 1024, 1026)

विश्लेषण:

प्रारंभिक मूल्यांकन के आदेश का प्रभाव

45. प्रारंभिक मूल्यांकन का आदेश यह तय करता है कि क्या कानून के साथ संघर्ष में शामिल वह बच्चा, जो 16-18 वर्ष की आयु सीमा में है और जघन्य अपराध करने का आरोप है, उसे बाल अदालत द्वारा वयस्क के रूप में परीक्षण किया जाना चाहिए या बोर्ड द्वारा बच्चे के रूप में ही माना जाना चाहिए। अधिनियम, 2015 के अंतर्गत, यदि बच्चे को बाल अदालत द्वारा वयस्क के रूप में विचारण किया जाता है, तो इसके दो प्रमुख परिणाम होते हैं। पहला, यदि बाल अदालत द्वारा वयस्क के रूप में विचारण किया जाता है, तो दंड या सजा आजीवन कारावास तक जा सकती है, जबकि यदि बोर्ड द्वारा बच्चे के रूप में विचारण किया जाता है, तो अधिकतम सजा 3 वर्ष तक ही दी जा सकती है। दूसरा प्रमुख परिणाम यह है कि जहाँ बच्चे का परीक्षण बोर्ड द्वारा बच्चे के रूप में किया जाता है, तो धारा 24(1) के अंतर्गत उसे अपराध के दोषसिद्धि के साथ जुड़ी किसी भी अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं, जो बच्चा बाल अदालत द्वारा वयस्क के रूप में विचारण किया जाता है, उसके लिए धारा 24(1) के उपबंध के अनुसार, उक्त अयोग्यता हटाने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। एक अन्य परिणाम, जो गंभीर प्रभाव डाल सकता है, यह है कि धारा 24(2) के अनुसार, जब मामला समाप्त हो जाता है, तो बोर्ड या बाल अदालत पुलिस या रजिस्ट्री को निर्देश दे सकती है कि

दोषसिद्धि से संबंधित अभिलेखों को अपील की अवधि समाप्त होने के बाद या किसी निर्धारित उपयुक्त अवधि के बाद नष्ट कर दिया जाए। वहीं, यदि किसी बच्चे का विचारण वयस्क के रूप में किया जाता है, तो धारा 24(2) के उपबंध के अनुसार, संबंधित न्यायालय द्वारा ऐसे अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाएगा।

46. ये परिणाम गंभीर प्रकृति के होते हैं और बच्चे के पूरे जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी आदेश, जिसके गंभीर नागरिक परिणाम हो सकते हैं, के संदर्भ में उचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रश्न यह उठता है कि धारा 15 के तहत बोर्ड द्वारा की जाने वाली प्राथमिक मूल्यांकन प्रक्रिया में "उचित अवसर" की परिभाषा क्या होगी।

सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एस आई आर)

47. सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एस आई आर) का निर्माण कानून के साथ संघर्ष में लगे प्रत्येक बच्चे के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है, जिसे बोर्ड द्वारा निर्देशित किसी भी एजेंसी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया जाना है। इसका प्रारूप आदर्श नियमों के फॉर्म 6 में भी प्रदान किया गया है। एस आई आर तैयार करने का उद्देश्य बच्चे के पृष्ठभूमि के बारे में जितनी अधिक संभव जानकारी प्राप्त करना है। इसमें कुल 48 कॉलम भरने होते हैं और उसके बाद परिवीक्षा अधिकारी को अपनी राय भी प्रस्तुत करनी होती है। वर्तमान मामले में, एस आई आर 27.11.2017 को कानूनी परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एस आई आर वह प्रासंगिक सामग्री है, जिसे जमानत पर या जांच/प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद कोई भी आदेश पारित करते समय बोर्ड द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

<u>मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट</u>

48. मनोवैज्ञानिक की 05.12.2017 की रिपोर्ट केवल बच्चे का आई क्यू 95 बताती है और यह भी उल्लेख करती है कि यदि आवश्यक हो तो आगे का मूल्यांकन किया जा सकता है। उपरोक्त रिपोर्ट से संबंधित अंश यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं।

"xxx xxx xxx

मानसिक क्षमता के मूल्यांकन हेतु, मूल्यांकन किया गया।

प्रतिपादन: आई क्यू – 95, औसत बुद्धिमत्ता।

xxx xxx xxx

यदि आवश्यक हो, तो आगे के मूल्यांकन हेतु उसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक भेजा जा सकता है।

xxx xxx xxx"

49. उपरोक्त रिपोर्ट का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह केवल बच्चे की मानसिक क्षमता का आकलन करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया कि बच्चे को कथित अपराध करने के परिणामों की जानकारी थी या नहीं, और न ही इसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया जिनके कारण कथित अपराध हुआ। ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया, क्योंकि प्रतीत होता है कि बोर्ड ने केवल बच्चे की मानसिक क्षमता पर राय मांगी थी।

प्राकृतिक न्याय / उचित अवसर

50. बोर्ड और बाल अदालत ने अधिनियम, 2015 की धारा 99 के आधार पर यह माना कि उन्हें रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की प्रतियाँ, जैसे कि एस आई आर , मनोवैज्ञानिक

की रिपोर्ट, और अन्य सामग्री, प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने आदर्श नियमों के नियम 10(5) का हवाला देते हुए यह ठहराया कि दस्तावेजों को बच्चे या उसके अभिभावक या उसके अधिवक्ता को, जैसा भी मामला हो, प्रदान किया जाना चाहिए था; लेकिन ऐसा न करने के कारण, इस मामले में उचित अवसर से वंचित किया गया।

51. धारा 99 यह प्रावधान करती है कि बच्चे से संबंधित और समिति या बोर्ड द्वारा विचार की गई सभी रिपोर्टों को गोपनीय माना जाए। धारा 99(1) के प्रावधान के अनुसार, समिति या बोर्ड को यह शक्ति दी गई है कि वे इसकी सामग्री को किसी अन्य समिति या बोर्ड या बच्चे, उसके माता-पिता या अभिभावक को संप्रेषित करें, और साथ ही ऐसे समिति या बोर्ड या बच्चे या माता-पिता या अभिभावक को रिपोर्ट में वर्णित विषय से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें। धारा 99(2) यह बताती है कि पीड़ित को केस रिकार्ड, प्रासंगिक दस्तावेजों और कागजातों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा।

52. गोपनीयता बनाए रखना एक अलग उद्देश्य रखता है, लेकिन किसी भी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रासंगिक सामग्री बच्चे या उसके अभिभावक या माता-पिता को प्रदान नहीं की जाएगी। यह आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के पूर्ण विरुद्ध होगा। धारा 99 में गोपनीयता की अवधारणा का उद्देश्य इन रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप में आने या सार्वजनिक रूप से साझा किए जाने से रोकना है। इसकी उपलब्धता केवल कार्यवाही से संबंधित पक्षों तक सीमित रहेगी, और पक्षों को भी इसे तीसरे पक्ष के साथ साझा करने से बचना चाहिए।

धारा 99(2) एक निरोधक खंड से शुरू होती है और यह निर्देश देती है कि पीड़ित को मामले की रिपोर्ट, आदेश और प्रासंगिक दस्तावेजों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब विधायिका का उद्देश्य पीड़ित को सामग्री प्रदान करना है, तो गोपनीयता के नाम पर बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावकों को इन अभिलेखों तक पहुंच से वंचित करने का कोई इरादा नहीं हो सकता। बोर्ड और बाल न्यायालय ने अधिनियम, 2015 की धारा 99 का गलत व्याख्या करके मांगे गए दस्तावेज प्रदान न करके कानून का उल्लंघन किया है।

53. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी या उसके माता-पिता या अभिभावकों को सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एस आई आर) और विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई। प्रतिवादी की ओर से इस सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे बोर्ड ने 13.12.2017 के विस्तृत आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया। बोर्ड ने केवल यह स्वतंत्रता दी कि सुनवाई शुरू होने से पहले, प्रतिवादी के अधिवक्ता और माता-पिता या अभिभावक इन रिपोर्टों को 30 मिनट तक देख सकते हैं।

54. प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि, सबसे पहले, इन दस्तावेजों को उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए था; और दूसरी बात, आधा घंटा एक बहुत कम समय था, जिसमें 35 पन्नों वाले विशाल एस आई आर की सामग्री का अवलोकन किया जा सके, जिसमें कई बयानों का समावेश था; और तीसरी बात, उन्हें न तो प्रति-परिक्षण के द्वारा खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, और न ही दस्तावेज प्रस्तुत करने का।

55. प्रतिवादी की ओर से उठाए गए प्राकृतिक न्याय/अवसर के सिद्धांत के एक अन्य उल्लंघन का संबंध मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट से था, जिसमें केवल बच्चे का आई क्यू स्तर प्रदान किया गया था और कुछ नहीं। प्रतिवादी की ओर से एक आवेदन भी दायर किया गया था, ताकि मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट के खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके और मनोवैज्ञानिक का प्रति परीक्षण किया जा सके, क्योंकि रिपोर्ट में प्रयुक्त परीक्षण 16.5 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं थे। ये परीक्षण केवल 15 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होते थे। प्रतिवादी की इस मांग को भी बोर्ड ने 13.12.2017 के विस्तृत आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया।

56. प्रतिवादी की ओर से उठाए गए एक अन्य पहलू के रूप में यह तर्क दिया गया कि मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि बच्चे की आगे जांच के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा मूल्यांकन करवाया जाना चाहिए। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, बोर्ड ने एक गलती की क्योंकि उन्होंने एक उच्चतर संस्था द्वारा आगे की जांच करवाई नहीं। एक बार जब परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक ने अपनी रिपोर्ट दी और स्वयं अपनी रिपोर्ट के प्रति आश्वस्त नहीं थे तथा एक उच्चतर संस्था द्वारा मूल्यांकन की सिफारिश की थी, तो बोर्ड को आगे की रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए थी।

57. एक और पहलू जो निष्पक्ष अवसर के उल्लंघन की ओर संकेत करता है, वह यह है कि प्रतिवादी की ओर से बोर्ड के समक्ष दायर किए गए उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया, जिसमें प्रारंभिक मूल्यांकन की कार्यवाही को तब तक स्थगित करने का अनुरोध किया गया था जब तक कि आदर्श नियमों के नियम 10(5) का अनुपालन

नहीं हो जाता। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के दौरान गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों के रूप में एकत्रित की गई सामग्री, जिसे एक महीने की अवधि के भीतर संकलित किया जाना था, उसके पूरा होने की प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी और इसकी एक प्रति उत्तरदाता या उसके माता-पिता या अभिभावक को प्रदान की जानी चाहिए थी, क्योंकि यह प्रारंभिक निर्धारण के लिए प्रासंगिक था।

58. उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रमजीत बनर्जी की दो तर्कों को अस्वीकार किया जाना आवश्यक है। प्रथम, आदर्श नियमों के नियम 10(5) को अधिनियम, 2015 की धारा 99 के साथ विरोधाभासी मानते हुए पढ़ा जाना चाहिए। द्वितीय, यह तर्क कि जांच के दौरान एकत्रित कोई भी सामग्री तब तक अभियुक्त को प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट दायर नहीं की जाती, मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 190 के तहत संज्ञान नहीं लिया जाता, और धारा 207/208 दंड प्र सं की प्रक्रिया तक नहीं पहुंचा जाता, अस्वीकार्य है। अधिनियम, 2015, एक विशेष अधिनियम होने के नाते, दंड प्र सं द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया पर अधिभावी प्रभाव रखेगा। दंड प्र सं के प्रावधान तभी तक लागू होंगे जब तक कि वे अधिनियम, 2015 में निहित विशेष प्रावधानों के साथ टकराव में नहीं आते।

समयावधि

59. अधिनियम, 2015 और आदर्श नियमों के तहत जाँच, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एस आई आर) की प्रस्तुति, प्रारंभिक मूल्यांकन और जाँच के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है:

i. बोर्ड द्वारा धारा 14(1) के तहत की जाने वाली जांच को, बच्चे को पहली बार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। बोर्ड विशेष कारणों को दर्ज करते हुए, धारा 14(2) के अनुसार, इस अवधि को अधिकतम दो और महीनों तक बढ़ा सकता है।

ii. धारा 14(3) के अनुसार, धारा 15 के तहत किया जाने वाला प्रारंभिक मूल्यांकन बोर्ड द्वारा बच्चे को पहली बार प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

iii. धारा 14(4) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि बोर्ड द्वारा धारा 15 के अंतर्गत किए जाने वाले लघु अपराधों की जांच विस्तारित अवधि के बाद भी अपूर्ण रहती है, तो कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाएगी।

iv. धारा 14(4) के परंतुक के तहत, जो गंभीर या जघन्य अपराधों से संबंधित है, यदि बोर्ड को जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या, स्थिति के अनुसार, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को दर्ज करते हुए यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

v. धारा 8(3)(ई) के तहत, प्रोबेशन अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी या एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट को बच्चे को पहली बार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. आदर्श नियमों के नियम 10(5) के अनुसार, यदि 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे द्वारा जघन्य अपराध किया गया हो, तो बाल कल्याण

पुलिस अधिकारी को गवाहों के बयान, जो उसने दर्ज किए हैं, और जांच के दौरान तैयार किए गए अन्य दस्तावेजों को, बच्चे को पहली बार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

60. विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारित समय-सीमा का एक तार्किक आधार है। सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एस आई आर) को पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि बोर्ड जल्द से जल्द जमानत के अनुरोध पर निर्णय ले सके। नियम 10(5) के तहत एक महीने की अवधि इसलिए दी गई है ताकि बोर्ड किसी लंबित जमानत याचिका या प्रारंभिक मूल्यांकन (जिसके लिए तीन महीने का समय निर्धारित है) पर निर्णय ले सके। चार महीने (या विस्तारित अवधि) के भीतर जांच पूरी करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे को अनावश्यक रूप से लंबे और जटिल अदालती कार्यवाही या जांच प्रक्रियाओं का सामना न करना पड़े और मामला शीघ्रता से तार्किक निष्कर्ष तक पहुँच सके।

61. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी द्वारा नियम 10(5) के तहत सामग्री प्रदान किए जाने तक प्रारंभिक निर्धारण को स्थगित करने के अनुरोध के बावजूद, बोर्ड ने 13.12.2017 को इसे अस्वीकृत कर दिया और उसके एक सप्ताह बाद 20.12.2017 को प्रारंभिक निर्धारण का आदेश जारी कर दिया। बच्चे को हिरासत में लिया गया और उसे पहली बार 08.11.2017 को बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था। प्रारंभिक निर्धारण के लिए निर्धारित तीन महीने की अवधि 07.02.2018 तक जारी रहती। बोर्ड को चाहिए था कि वह आदर्श नियमों के नियम 10(5) के तहत रिपोर्ट और सामग्री की प्रतीक्षा करे। इसी

तरह, एक बार जब मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि यदि आगे की जांच की आवश्यकता है तो प्रतिवादी को रोहतक के किसी विशेष संस्थान में भेजा जाना चाहिए, तब भी बिना किसी ठोस कारण के इस सुझाव को बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

प्रारंभिक निर्धारण

62. अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित चार पहलुओं पर प्रारंभिक निर्धारण करने में बोर्ड की जिम्मेदारी मुख्य रूप से बोर्ड के विवेक पर निर्भर करती है, क्योंकि इस संबंध में कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं कि बोर्ड यह मूल्यांकन कैसे करेगा। किसी स्पष्ट रूपरेखा या दिशानिर्देशों के अभाव में, बोर्ड को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उन सामग्रियों पर विचार करना होता है, जिन्हें वह चार विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त मानता है।

(a) वर्तमान मामले में, बोर्ड और बाल न्यायालय ने, बच्चे द्वारा पहली बार बोर्ड के समक्ष पेश होने पर दी गई बयान, बाद में दी गई दूसरी बयान, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एस आई आर) और मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट (जिसमें 95 का आई क्यू स्तर दर्शाया गया है) पर भरोसा करते हुए यह मान लिया कि **प्रतिवादी के पास अपराध करने की मानसिक क्षमता थी।**

(b) जहाँ तक शारीरिक क्षमता का सवाल है, बोर्ड और बाल न्यायालय ने बच्चे के शारीरिक गठन और उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए यह माना है कि **उसके पास कथित हमले की प्रकृति को अंजाम देने की शारीरिक क्षमता थी।**

(c) बोर्ड ने इस तथ्य पर निर्भर किया कि प्रतिवादी कक्षा 11वीं में अध्ययन कर रहा था; उसने यह कहा था कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है तथा किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है; उसका आई क्यू स्तर यह दर्शाता है कि वह मानसिक रूप से सक्षम है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसे कथित अपराध के परिणामों का ज्ञान नहीं था। प्रतिवादी के व्यक्तिगत मूल्यांकन के दौरान दर्ज बयान से यह संकेत मिलता है कि वह काफी परिपक्व था। ये सभी तथ्य बोर्ड को यह संतुष्ट करते हैं **कि प्रतिवादी में पर्याप्त परिपक्वता और क्षमता थी, जिससे वह अपने कृत्य के परिणामों को समझ सके।**

(d) बोर्ड के आदेश में कहीं भी उन परिस्थितियों के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है, जिनमें प्रतिवादी ने कथित रूप से अपराध किया था। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड ने सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एस आई आर) पर भरोसा किया।

63. वर्तमान मामले में, बोर्ड और बाल न्यायालय ने मनोवैज्ञानिक की उस रिपोर्ट पर अत्यधिक भरोसा किया, जिसमें केवल यह दर्शाया गया था कि प्रतिवादी का आई क्यू स्तर 95 है, जो औसत श्रेणी में आता है। इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिवादी के पास अपराध करने की मानसिक क्षमता थी और वह अपराध के परिणामों को समझने में सक्षम था। बोर्ड और बाल न्यायालय दोनों ने यह भी दर्ज किया कि मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिवादी को मनोचिकित्सा संस्थान, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक में आगे मूल्यांकन के लिए भेजने की सिफारिश को आवश्यक

नहीं समझा गया, क्योंकि उनके अनुसार आई क्यू स्तर की रिपोर्ट ही प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए पर्याप्त थी।

64. धारा 15 और नियम 10ए यह प्रावधान करते हैं कि बोर्ड मनोवैज्ञानिकों, मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य ऐसे विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव हो। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, 'ले सकता है' शब्द को वैकल्पिक रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात बोर्ड के पास विवेकाधिकार है कि वह विशेषज्ञों की सहायता ले या न ले। वहीं, प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि 'ले सकता है' शब्द को 'होगा' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जिससे यह बोर्ड के लिए अनिवार्य हो जाए कि वह प्रारंभिक निर्धारण का आदेश पारित करने से पहले ऐसे विशेषज्ञों की राय या सहायता अवश्य ले। इस पहलू पर आगे विस्तार से विचार किया गया है।

65. किसी बालक को वयस्क के रूप में मानने से पहले, उसकी शारीरिक परिपक्वता, ज्ञान-संबंधी कौशल, सामाजिक और भावनात्मक दक्षता को ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि तंत्रिका जीव विज्ञान (न्यूरो बायोलॉजिकल) दृष्टिकोण से, संज्ञानात्मक और व्यवहारगत विशेषताओं का विकास—जैसे संयम रखने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, आवेगशीलता (इंपल्सिविटी) और निर्णय क्षमता 20 वें वर्ष की उम्र की शुरुआत तक जारी रहता है। इसलिए, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन विशेषताओं के आधार पर एक बालक और वयस्क के बीच स्पष्ट अंतर करने के लिए उचित मूल्यांकन किया जाए।

66. संज्ञानात्मक परिपक्वता काफी हद तक आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करती है। भावनात्मक विकास का संज्ञानात्मक परिपक्वता पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। हालाँकि, यदि भावनाएँ अत्यधिक तीव्र होती हैं और बच्चा उन्हें प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में असमर्थ होता है, तो उसकी बौद्धिक समझ या ज्ञान पीछे छूट सकता है।

67. हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से सहमत हैं कि जब मनोवैज्ञानिक ने अतिरिक्त मूल्यांकन की सिफारिश की थी और एक संस्थान का नाम भी सुझाया था, तो आगे मूल्यांकन कराया जाना चाहिए था। बोर्ड और बाल न्यायालय यह मानकर चले कि मानसिक क्षमता और अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता एक ही चीज़ हैं। अर्थात, यदि किसी बच्चे के पास अपराध करने की मानसिक क्षमता है, तो उसके पास स्वतः ही उसके परिणामों को समझने की भी क्षमता होगी। हमारे विचार में, यह एक गंभीर त्रुटि है, जो बोर्ड और बाल न्यायालय द्वारा की गई।

68. धारा 15 में प्रयुक्त भाषा है "अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता"। यहां प्रयुक्त शब्द 'परिणामों' बहुवचन में है, अर्थात अपराध के परिणामों , और इसलिए यह केवल अपराध के तत्काल परिणाम तक सीमित नहीं है या कि अपराध के होने से केवल पीड़ित पर ही असर पड़ेगा, बल्कि इसमें उन परिणामों को भी शामिल किया गया है जो न केवल पीड़ित पर हमले के परिणामस्वरूप पड़ सकते हैं, बल्कि पीड़ित के परिवार, बच्चे और उसके परिवार पर भी असर डाल सकते हैं। इसमें न केवल तत्काल परिणाम बल्कि भविष्य में होने वाले दूरगामी प्रभाव भी शामिल हैं। ये परिणाम भौतिक या शारीरिक रूप में हो सकते हैं, साथ ही बच्चे के मन और मनोविज्ञान पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपराध के परिणाम अनेक और बहुआयामी हो सकते हैं, जिन्हें

केवल किसी एक ढांचे से जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए, इस संदर्भ में बोर्ड के द्वारा पूरे परिदृश्य को देखने के साथ-साथ भविष्य के प्रभावों का भी तथ्यों के आधार पर सचेत रूप से विश्लेषण करना आवश्यक था ।

69. पीड़ित के लिए परिणाम मृत्यु, स्थायी शारीरिक अक्षमता, या ऐसी चोट हो सकती है जो ठीक की जा सके या जिससे उबरना संभव हो। अपराध का प्रभाव पीड़ित के मन पर लंबे समय तक रह सकता है और जीवन भर जारी रह सकता है। इसके अलावा, पीड़ित के परिवार और मित्रों पर मानसिक और आर्थिक प्रभाव, अपराधी बच्चे के कैद में जाने के परिणाम, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, जीवन भर पश्चाताप या ग्लानि का अनुभव, उस पर और उसके परिवार पर लगने वाला सामाजिक कलंक, मुकदमेबाजी के प्रभाव, और अन्य कई जटिल पहलू हो सकते हैं, जिन्हें संक्षेप में गिनाना भी कठिन है

70. औसत बुद्धिमत्ता/आईक्यू वाला बच्चा अपने कार्यों के परिणामों का बौद्धिक ज्ञान रखता है। लेकिन, यह कि वह स्वयं या अपने कार्यों पर नियंत्रण रख सकेगा या नहीं, यह उसकी भावनात्मक क्षमता के स्तर पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, जोखिमपूर्ण ड्राइविंग से दुर्घटना हो सकती है। परंतु यदि किसी की भावनात्मक दक्षता उच्च नहीं है, तो रोमांच की लालसा उसके बौद्धिक समझ पर हावी हो सकती है।

71. बच्चे तत्काल संतुष्टि की ओर अधिक प्रवृत्त हो सकते हैं और अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों को गहराई से समझने में सक्षम नहीं हो सकते। वे तर्क की बजाय भावनाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। शोध से पता चलता है कि युवा जोखिमों को पहचानते हैं, फिर भी वे वयस्कों की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण व्यवहार अपनाते

हैं, (जैसे नशीली दवाओं और शराब का सेवन, असुरक्षित यौन गतिविधियाँ, खतरनाक ड्राइविंग, और आपराधिक प्रवृत्तियाँ)। हालाँकि वे संज्ञानात्मक रूप से जोखिमों और लाभों का मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन उनके निर्णय अधिकतर सामाजिक (जैसे साथियों का प्रभाव) और भावनात्मक (जैसे आवेगपूर्ण स्वभाव) प्रवृत्तियों से प्रेरित हो सकते हैं। इसके अलावा, अनुभव की कमी और कार्यों के दीर्घकालिक प्रभावों को गहराई से समझने की सीमित क्षमता के कारण, वे कई बार आवेगपूर्ण या लापरवाही वाले निर्णय ले सकते हैं।

72. आखिरी बिंदु, अर्थात् जिस परिस्थिति में अपराध करने का आरोप लगाया गया है, उसका मूल्यांकन करना भी एक ऐसा पहलू है जिसके लिए मूल्यांकन से पहले कई कारकों पर विचार करना आवश्यक है। किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने के कई कारण हो सकते हैं। यह शत्रुता, गरीबी, लालच, मानसिक विकृति आदि हो सकते हैं। इसमें बलप्रयोग, जीवन और संपत्ति के लिए खतरा, भौतिक और शारीरिक लाभ के संदर्भ में प्रलोभन जैसी परिस्थितियाँ भी शामिल हो सकती हैं। अपराध कभी-कभी तनाव या अवसाद के कारण भी किया जा सकता है। साथ ही, व्यक्ति अपने साथ रखने वाले लोगों के प्रभाव में आकर भी अपराध कर सकता है, या परिवार और मित्रों की सहायता करने के उद्देश्य से भी अपराध कर सकता है। इन सभी और अन्य कई कारणों को मिलाकर अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनके चलते अपराध किया जाता है।

73. प्रारंभिक निर्धारण एक ऐसा विषय रहा है जिस पर बहस, विश्लेषण और अनुसंधान होते रहे हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ओडिशा ने यूनिसेफ के सहयोग से अधिनियम, 2015 के तहत प्रारंभिक निर्धारण की प्रक्रिया पर एक विस्तृत अध्ययन किया। उक्त

रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट 4 के रूप में "प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट के लिए मार्गदर्शिका नोट्स" संलग्न है, जिसे निम्हान्स[9] बेंगलुरु के बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निम्हान्स बेंगलुरु मनोविज्ञान के शोध और अध्ययन में अग्रणी संस्थानों में से एक है और यह मानसिक स्वास्थ्य, तंत्रिका विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध केंद्र है। उपरोक्त संदर्भित मार्गदर्शिका नोट्स की सामग्री नीचे प्रस्तुत की गई है—

"कानून से संघर्षरत बच्चों के प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट
के लिए मार्गदर्शिका नोट्स
बाल और किशोर मनोचिकित्सा विभाग, निमहांस बेंगलुरु

प्रारंभिक निर्धारण विस्तृत मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन से जानकारी का उपयोग करता है (जो पहले किया जाता है) और उस जानकारी को नीचे उल्लिखित तरीके से प्रस्तुत करता है।

ए. कथित अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता

बच्चे की सामाजिक निर्णय लेने और निर्णयात्मक क्षमता निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हो सकती है:

(i) जीवन कौशल की कमी (भावनात्मक असंतुलन / सहकर्मी दबाव का सामना करने में कठिनाई / आत्मविश्वास और बातचीत करने की क्षमता / समस्या समाधान / विवाद समाधान / निर्णय लेने की क्षमता)।

(ii) उपेक्षा / परिवार द्वारा अपर्याप्त निगरानी / परिवार में अनुकरण योग्य आदर्शों की कमी।

(iii) दुर्व्यवहार और आघात के अनुभव।

(iv) नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या।

(v) बौद्धिक अक्षमता।

(vi) मानसिक स्वास्थ्य विकार / विकासात्मक अक्षमता।

[9] राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान

(vii) अब तक दिए गए उपचार / हस्तक्षेप।

मार्गदर्शिका नोट्स

इस अनुभाग में, प्रारंभिक निर्धारण प्रपत्र भरने वाले पेशेवर को केवल प्रत्येक बिंदु के सामने टिक ( ) का चिह्न लगाकर 'हाँ' और क्रॉस (एक्स) का चिह्न लगाकर 'नहीं' इंगित करना होगा कि क्या बच्चा इस विशेष क्षेत्र में प्रभावित हुआ है या नहीं। यह जानकारी विस्तृत मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रोफार्मा के संबंधित अनुभागों से ली जाती है, जिसमें यह विवरण होता है कि बच्चे की उचित सामाजिक निर्णय लेने और निर्णयात्मक क्षमता (जो उसके कार्यों और व्यवहार में प्रकट होती है) उसके जीवन परिस्थितियों और मानसिक स्वास्थ्य या विकासात्मक समस्याओं के कारण कैसे प्रभावित हुई है।

(i) जीवन कौशल की कमी से संबंधित वस्तु के लिए, सेक्शन 6, "जीवन कौशल की कमी और बच्चे की अन्य टिप्पणियाँ" तथा उप-खंड 6.1 "जीवन कौशल की कमी" का संदर्भ लें।

(ii) विषयवस्तु (ii) के लिए, सेक्शन 2 के उप-खंड 2.1 "पारिवारिक मुद्दे जिनकी पहचान हुई है" का संदर्भ लें।

(iii) दुर्व्यवहार और आघात के अनुभव से संबंधित वस्तु (iii) के लिए, सेक्शन 3 "आघात के अनुभव: शारीरिक, यौन और भावनात्मक दुर्व्यवहार के अनुभव" का संदर्भ लें।

विषयवस्तु (iv) नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या और मानसिक स्वास्थ्य विकार/ विकासात्मक अक्षमता से संबंधित वस्तुओं (iv) और (vi) के लिए, सेक्शन 5 "मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ" का संदर्भ लें।

विषयवस्तु (v) बौद्धिक अक्षमता के संदर्भ में, आप मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रपत्र के संचालन के दौरान बच्चे के साथ अपने संपर्क के आधार पर अपना निर्णय ले सकते हैं—यदि बच्चा अधिकांश प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहा या उम्र के अनुरूप प्रतिक्रिया दी (जैसे कि कोई छोटा बच्चा देता, जिसमें पूछे या चर्चा किए गए कई चीजों की समझ का अभाव हो), तो आप संदेह कर सकते हैं कि उसमें बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। (इसके बाद, यह उपयोगी और आवश्यक होगा कि इसे उन मनोवैज्ञानिकों

द्वारा किए गए संबंधित आई क्यू परीक्षण के माध्यम से पुष्टि की जाए जो मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थित हैं)।

विषयवस्तु (vii) के लिए, आप मूल्यांकन के दौरान बच्चे से यह पूछ सकते हैं कि क्या उसने किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक समस्या या जीवन कौशल की कमी के लिए कोई पेशेवर सहायता या उपचार प्राप्त किया है। (आमतौर पर, अवलोकन गृह में रहने वाले बच्चों को उनकी समस्याओं के लिए कोई उपचार या हस्तक्षेप नहीं मिला होता है)।

वास्तविकता यह है कि किसी गंभीर शारीरिक अक्षमता (जो गतिशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है) या बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति को छोड़कर, हर किसी में अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता होती है। इसलिए, यदि किसी बच्चे में अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है या नहीं, यह प्रश्न सरल शब्दों में पूछने से अधिकतर मामलों में उत्तर "हाँ" ही मिलेगा। हालांकि, केवल यह तथ्य कि किसी में अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अपराध करेगा या उसने किया है। अतः किशोर न्याय अधिनियम (जे जे अधिनियम) द्वारा प्रस्तुत इस प्रश्न से प्राप्त होने वाला द्विविकल्पीय (हाँ/ना) उत्तर किसी कानून से संघर्षरत बच्चे के संबंध में निर्णय लेने में बहुत उपयोगी नहीं होता। इसलिए, इस प्रश्न के सरल द्विविकल्पीय उत्तर से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के रूप में, हमने एक अधिक विस्तृत, वर्णनात्मक और सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया है। प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार, जो हमने विकसित की है, अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता का अर्थ है बच्चे की सामाजिक निर्णय लेने और निर्णयात्मक क्षमता, जो कुछ सीमाओं के कारण प्रभावित हो सकती है।

दूसरे शब्दों में, बच्चे की सामाजिक निर्णय लेने और निर्णयात्मक क्षमताएँ निम्नलिखित कारणों से बाधित हो सकती हैं: जीवन कौशल की कमी, उपेक्षा / परिवार द्वारा कमजोर निगरानी / अनुचित पारिवारिक मार्गदर्शन, दुर्व्यवहार और आघात के अनुभव, नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या, बौद्धिक अक्षमता, और/या मानसिक स्वास्थ्य विकार / विकासात्मक अक्षमता। यदि इन समस्याओं का उपचार न किया जाए, तो ये बच्चों के दृष्टिकोण और उनके भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के साथ उनके संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं, जिससे वे समाज-विरोधी

गतिविधियों में संलग्न होने के जोखिम में आ जाते हैं।

बी. कथित अपराध की परिस्थितियाँ

(i) पारिवारिक पृष्ठभूमि और संबंध – बच्चे की पारिवारिक स्थिति, माता-पिता के साथ संबंध, माता-पिता से भावनात्मक लगाव, परिवार में बीमारी और नशे की लत, घरेलू हिंसा और वैवाहिक कलह (यदि कोई हो)।

(ii) स्कूल और शिक्षा – बच्चे की स्कूल उपस्थिति, अंतिम कक्षा जिसमें पढ़ाई की, स्कूल न जाने के कारण (आर्थिक समस्याएँ, प्रेरणा की कमी, स्कूल जाने से इनकार, शारीरिक दंड आदि)।

(iii) कार्य अनुभव / बाल श्रम – बच्चा क्यों काम कर रहा था, उसे काम कैसे मिला, वह कहाँ काम कर रहा था, कार्य के घंटे और प्राप्त वेतन, क्या नियोक्ता द्वारा कोई शारीरिक/भावनात्मक दुर्व्यवहार हुआ, और कार्यस्थल पर उसे नशीले पदार्थों आदि का कोई नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ा या नहीं।

(iv) सहकर्मी संबंध – नशीले पदार्थों के सेवन, नियमों के उल्लंघन, अनुचित यौन व्यवहार और स्कूल उपस्थिति को लेकर गलत संगति का प्रभाव।

(iv)दुर्व्यवहार और आघात के अनुभव – शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण के अनुभव। (vi) मानसिक स्वास्थ्य विकार और विकासात्मक अक्षमताएँ – बच्चे को कोई मानसिक स्वास्थ्य विकार या विकासात्मक अक्षमता है या नहीं।

मार्गदर्शन नोट्स

इस अनुभाग की सभी उपरोक्त जानकारी को विस्तृत मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन में दर्ज किया जाना चाहिए। यह जानकारी विस्तृत मूल्यांकन के संबंधित अनुभागों से ली जाएगी ताकि उन कारकों और परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जा सके जिन्होंने बच्चे को अपराध करने की ओर संवेदनशील बनाया।

पहले चार बिंदुओं की जानकारी मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रपत्र के सेक्शन 2, "सामाजिक इतिहास" से ली जानी चाहिए, जिसमें परिवार, स्कूल, संस्थान और सहकर्मी से जुड़े मुद्दों का विवरण होता है। पाँचवें बिंदु (आघात/दुर्व्यवहार के अनुभव) की जानकारी सेक्शन 3,

"आघात के अनुभव: शारीरिक, यौन और भावनात्मक दुर्व्यवहार" से ली जानी चाहिए।

छठे बिंदु (मानसिक स्वास्थ्य विकार) के लिए, सेक्शन 5, "मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ" (जिसमें नशीले पदार्थों का सेवन भी शामिल है) का संदर्भ लिया जाना चाहिए।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि "अपराध की परिस्थितियाँ" का तात्पर्य उन कारकों से नहीं है जो अपराध की घटना से ठीक पहले हुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी घटना के तात्कालिक कारणों का एक व्यापक इतिहास होता है, और यह आवश्यक है कि उन सभी जीवन-घटनाओं और परिस्थितियों को पहचाना जाए जिन्होंने बच्चे को उस निर्णय और कार्यवाही तक पहुँचाया।

इसलिए, "परिस्थितियाँ" को बच्चे के जीवन की संपूर्ण परिस्थितियों के रूप में समझा जाता है और अपराध की प्रवृत्ति को समझने के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसमें बच्चे के जन्म (या माँ की गर्भावस्था के अनुभव) से लेकर वर्तमान समय तक की घटनाएँ और परिस्थितियाँ शामिल होती हैं। यह दृष्टिकोण केवल कानून से संघर्षरत बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बाल एवं किशोर मानसिक स्वास्थ्य के इतिहास लेने की एक सार्वभौमिक विधि है, जिससे बच्चों की भावनाओं और व्यवहारों को उनके संदर्भ और अनुभवों के आधार पर वर्षों की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए समझा जाता है।

सी. बच्चे की कथित अपराध के परिणामों की जानकारी

(बच्चे की सामाजिक/अंतरव्यक्तिगत और कानूनी परिणामों की समझ का संक्षिप्त विवरण, साथ ही ऐसे अपराध करने के संबंध में बच्चे की अंतर्दृष्टि)

मार्गदर्शन नोट्स

यह अनुभाग विस्तृत मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के "परिवर्तन की संभावनाएँ" अनुभाग और प्रारंभिक स्तर के हस्तक्षेप पर आधारित है। इसमें मूल्यांकन के दौरान बच्चे की प्रतिक्रिया को दर्ज किया

जाना चाहिए, यानी उसकी अंतर्दृष्टि और प्रेरणा की सीमा को समझना आवश्यक है।
सामाजिक और अंतर-व्यक्तिगत परिणाम – बच्चे की सहानुभूति और यह समझ कि उसके कार्यों का उसके परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है। कानूनी परिणाम – बच्चे की यह समझ कि उसका कार्य नियमों का उल्लंघन है, जिसकी गंभीर नकारात्मक परिणति हो सकती है, जैसे कि दंडित किया जाना या कानून से संघर्ष में आना।

डी. अन्य अवलोकन एवं मुद्दे

मार्गदर्शन नोट्स

इस अनुभाग में मूल्यांकन के दौरान किए गए अन्य अवलोकनों को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि: बच्चे का सामाजिक स्वभाव अवलोकन गृह में बच्चे का व्यवहार बच्चे में सुधार की प्रेरणा कोई सकारात्मक व्यवहार जो मूल्यांकन के दौरान देखा गया हो यह जानकारी मनोसामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रपत्र के सेक्शन 6, "जीवन कौशल की कमी और बच्चे के अन्य अवलोकन" से ली जा सकती है, विशेष रूप से उप-अनुभाग 6.2, "बच्चे के अन्य अवलोकन" से। इस अनुभाग में केवल नकारात्मक पहलुओं को नहीं, बल्कि सकारात्मक अवलोकनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अवलोकनों में शामिल हो सकते हैं: बच्चे का व्यक्तित्व और व्यवहार (जैसे उसका हावभाव, आत्मविश्वास, संवाद शैली)। बच्चे द्वारा किसी समस्या से जुड़े विचार या विचारधारा (जैसे हिंसा या दुर्व्यवहार के प्रति उसका दृष्टिकोण)। मानसिक स्वास्थ्य विकारों या विकासात्मक अक्षमताओं को प्रमाणित करने वाले असामान्य व्यवहार। उदाहरण: यदि बच्चा अपनी उम्र के अनुसार सामाजिक या संज्ञानात्मक रूप से अनुपयुक्त उत्तर देता है, तो बौद्धिक अक्षमता का संकेत हो सकता है। यदि बच्चा स्थान और समय को लेकर भ्रमित दिखता है या उसके शरीर पर आत्म-हानि के निशान हैं, तो यह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की ओर संकेत कर सकता है। इस प्रकार

के अवलोकन मजिस्ट्रेट को अपराधी व्यवहार को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में सहायता कर सकते हैं।

ई. सिफारिशें

मार्गदर्शन नोट्स

अंततः, इस रिपोर्ट में बच्चे के हितों और इच्छाओं के आधार पर उपचार और पुनर्वास संबंधी हस्तक्षेपों की सिफारिश की जाती है। ये सिफारिशें बच्चे के रहने की व्यवस्था, आवास, शिक्षा और स्कूलिंग, माता-पिता के लिए काउंसलिंग, तथा आगे के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल व उपचार के लिए एक तृतीयक सुविधा को रेफरल से संबंधित हो सकती हैं। यह उप-खंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जे जे बी मजिस्ट्रेट को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है कि बच्चे को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, जिससे बोर्ड को विकल्पों पर विचार करने और ऐसे समर्थक और सक्रिय तरीके से प्रतिक्रिया देने की प्रेरणा मिलती है (बजाय इसके कि बच्चे को वयस्क न्याय प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया जाए)।

जे जे बी मजिस्ट्रेट से यह भी अनुरोध किया जा सकता है कि बच्चे को उपचार के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में भेजा जाए, ताकि परिवार और स्कूल से संबंधित अन्य मुद्दों को भी मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा संबोधित किया जा सके, जो बाद में बच्चे की प्रगति की जानकारी जे जे बी को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य होगी। कई मामलों में, जे जे बी मजिस्ट्रेट ने शर्तों पर जारी की गई जमानत दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चा और परिवार आवश्यकतानुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का पालन करें; अर्थात्, जमानत इस शर्त पर दी जाती है कि बच्चा मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में उपस्थित होगा और उपचार का पालन करेगा (यदि बच्चा ऐसा करने से इनकार करता है, तो मजिस्ट्रेट जमानत रद्द कर सकते हैं)। इस प्रकार, जे जे अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं, जिन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने पर सी आई सी एल (कानून से संघर्षरत बच्चे) को वयस्क न्याय प्रणाली में स्थानांतरण से बचाने और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को सुगम बनाने में उपयोग किया जा सकता है।

धारा 15(1) की परंतुक निर्देशात्मक या अनिवार्य

74. दुनिया यह स्वीकार करती है कि क़ानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों के साथ वयस्कों की तुलना में अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि बच्चे का मस्तिष्क अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ होता है और वह विकासशील अवस्था में होता है। इसलिए, बच्चे का मूल्यांकन अलग मापदंडों पर किया जाना चाहिए और उसे मुख्यधारा में शामिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए यदि उसने अपनी किशोरावस्था में कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया हो। बच्चे की मनोविज्ञान को समझने के लिए, न केवल हाल ही में बल्कि प्राचीन काल से बड़े पैमाने पर अध्ययन किए गए हैं, और बाल मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिस पर विश्वभर में अध्ययन हो रहा है। इस विषय के विकास और शोध से संबंधित विशेष संस्थान भी मौजूद हैं। बच्चों से संबंधित कानूनों को विश्वभर में अधिनियमित किया गया है।

75. यह ध्यान देने योग्य है कि बाल मनोविज्ञान विकास मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है, जिसकी उत्पत्ति इस आधार पर की गई है कि बच्चों और वयस्कों की सोच की प्रक्रिया अलग होती है। किशोर मानसिक क्षमता का व्यक्तिगत मूल्यांकन और अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता, अधिनियम, 2015 की धारा 15 द्वारा अनिवार्य प्रारंभिक निर्धारण के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है। प्रारंभिक मूल्यांकन की रिपोर्ट यह निर्धारित करती है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे का मामला बाल न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए या नहीं। कानून के साथ संघर्षरत बच्चे की 'मानसिक क्षमता और परिणामों को समझने की क्षमता' का यह मूल्यांकन किसी भी तरह से एक औपचारिक और नियमित कार्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जिस प्रक्रिया पर उस बच्चे का भविष्य अस्थिरता से निर्भर करता है, उस पर

निर्णय लेते समय सावधानीपूर्वक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किए बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।

76. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, बोर्ड में तीन सदस्य होते हैं, जिनमें से एक न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी का होता है और दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें से एक महिला है। सदस्य के रूप में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता के पास बाल मनोविज्ञान या मनोरोग में डिग्री हो सकती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार, बोर्ड की संरचना में अनिवार्य रूप से किसी विशेषज्ञ बाल मनोवैज्ञानिक का शामिल होना जरूरी नहीं है। उपरोक्त सभी कारणों से न केवल धारा 15 और 101(2) में बल्कि आदर्श नियमों के अंतर्गत भी यह प्रावधान किया गया है कि विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक की सहायता ली जा सकती है। अधिनियम, 2015 और आदर्श नियमों के ढांचे के साथ-साथ धारा 15 के तहत प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य और बोर्ड की विविध संरचना को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि जहाँ बोर्ड में बाल मनोविज्ञान या बाल मनोरोग में डिग्री रखने वाले किसी कामकाजी पेशेवर का समावेश नहीं है, वहाँ धारा 15(1) के प्रावधान में प्रयुक्त 'सकेगा' शब्द अनिवार्य रूप से कार्य करेगा और बोर्ड को अनुभवी मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कार्यकर्ता या अन्य विशेषज्ञों की सहायता अवश्य लेनी होगी। हालांकि, यदि बोर्ड में कम से कम एक ऐसा सदस्य शामिल है, जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोरोग में डिग्री के साथ एक कामकाजी पेशेवर रहा है, तो बोर्ड ऐसी सहायता ले सकता है, जिसे वह उचित समझे; और यदि बोर्ड ऐसी सहायता लेने का निर्णय नहीं करता है, तो उसे इसके लिए विशिष्ट कारणों को स्पष्ट करना आवश्यक होगा।

77. यह व्याख्या का एक स्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी विधान में 'सकेगा' शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यह अपने आप में अनिवार्य अर्थ नहीं देता। यदि किसी विशेष मामले में, न्याय और निष्पक्षता के हित में, न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विधायिका का उद्देश्य एक वैधानिक कर्तव्य सौंपना है, तो 'सकेगा' शब्द का प्रयोग न्यायालय को इसे अनिवार्य रूप देने से नहीं रोक सकता। इस संबंध में, इस न्यायालय ने ***बच्चन देवी बनाम नगर निगम, गोरखपुर***[10] के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया था:

> *"**18.** यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक वैधानिक प्रावधान में "सकता है "शब्द का उपयोग अपने आप में यह नहीं दर्शाता कि वह प्रावधान निर्देशात्मक है। कुछ मामलों में, विधायिका "सकता है " शब्द का उपयोग शुद्ध पारंपरिक शिष्टाचार के रूप में कर सकती है और फिर भी उसका उद्देश्य अनिवार्य प्रभाव होना हो सकता है। इसलिए, "सकता है" शब्द के कानूनी अर्थ को व्याख्यायित करने के लिए न्यायालय को विभिन्न कारकों पर विचार करना होता है, जैसे कि अधिनियम का उद्देश्य और योजना, शब्दों का संदर्भ और पृष्ठभूमि, इस शब्द के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभ और उद्देश्य आदि। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि जहाँ "सकता है" शब्द विवेक के साथ एक दायित्व भी शामिल करता है या जहाँ यह किसी सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को लाभ प्रदान करता है (जैसे किसी उपयोगिता अधिनियम में), या जहाँ न्यायालय एक उपचार को बढ़ावा देता है और दुरुपयोग को रोकता है, या जहाँ शब्दों को निर्देशात्मक अर्थ देने से अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, वहाँ "सकता है" शब्द को अनिवार्य शक्ति देने के रूप में व्याख्यायित किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से, "सकता है" शब्द अनुमति देने वाला होता है और विवेक प्रदान करता है, विशेषकर जब इसे "होगा" शब्द के साथ रखा जाता है, जो सामान्यतः अनिवार्य होता है क्योंकि यह एक कर्तव्य को*

[10] (2008) 12 एससीसी 372

स्थापित करता है। हालांकि, ऐसे मामले भी हैं जहाँ "सकता है", "होगा" और "अवश्य" शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। यह जानने के लिए कि ये शब्द निर्देशात्मक हैं या अनिवार्य, विधायिका के उद्देश्य को और संबंधित परिस्थितियों को देखा जाना चाहिए।"

78. इसी प्रकार, इस न्यायालय ने ***धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम राज्य उत्तर प्रदेश*** [11] के मामले में यह निर्णय दिया:

*"**36.** .... हमारे निर्णय में, केवल "सकेगा " या "होगा " शब्द का उपयोग निर्णायक नहीं होता। यह प्रश्न कि किसी विशेष प्रावधान को निर्देशात्मक या अनिवार्य माना जाए, इसे कोई सामान्य नियम के रूप में हल नहीं किया जा सकता। ऐसी विवादों का समाधान विधायिका के उद्देश्य को पहचान कर किया जाना चाहिए, न कि उस भाषा को देखकर जिसमें प्रावधान प्रस्तुत किया गया है। और विधायिका का उद्देश्य जानने के लिए, न्यायालय को अधिनियम की योजना, प्रावधान के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य, संभावित परिणाम या असुविधाएँ जो प्रावधान को एक या दूसरे तरीके से पढ़ने पर उत्पन्न हो सकती हैं, और अन्य कई विचारों का परीक्षण करना चाहिए जो इस मुद्दे से संबंधित हैं।"*

79. इसलिए, अधिनियम, 2015 के उद्देश्य और विधायिका के इरादे को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से बच्चे के सर्वोत्तम हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, धारा 15(1) के प्रावधान में प्रयुक्त "सकेगा " शब्द और अनुभवी मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेने की आवश्यकता को अनिवार्य माना जाएगा, जब तक कि बोर्ड में कम से कम एक ऐसा सदस्य शामिल न हो जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोरोग में डिग्री रखने वाला कामकाजी पेशेवर हो। इसके अलावा,

[11] (2007) 8 एससीसी 338

यदि बोर्ड, अपनी संरचना में कम से कम एक ऐसे कामकाजी पेशेवर के होने के बावजूद, ऐसी सहायता लेने से इनकार करता है, तो उसे इसके लिए विशिष्ट कारण दर्ज करने होंगे।

80. समाप्त करने से पहले, यह उल्लेख करना उचित होगा कि पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा संदर्भित न्यायिक निर्णयों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने विभिन्न मुद्दों पर जो निष्कर्ष दर्ज किए हैं, वे पर्याप्त हैं।

निष्कर्ष

81. हम इस बात से अवगत हैं कि प्रारंभिक निर्धारण करने का अधिकार क्रमशः धारा 15 और 19 के तहत बोर्ड और बाल न्यायालय को प्रदान किया गया है। बाल न्यायालय, जब किसी मामले को धारा 18(3) के अंतर्गत संदर्भित किया जाता है, तब भी यह जांच करेगा कि क्या बच्चे का विचारण वयस्क के रूप में किया जाना चाहिए या नहीं। यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बच्चे का विचारण वयस्क के रूप में नहीं किया जाना है, तो वह स्वयं एक बोर्ड के रूप में जांच करेगा और धारा 18 के अंतर्गत उपयुक्त आदेश पारित करेगा। अतः, प्रारंभिक निर्धारण करने का अधिकार बोर्ड और बाल न्यायालय दोनों के पास है। इस न्यायालय को प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह न्यायालय केवल इस बात की जाँच करेगा कि क्या प्रारंभिक निर्धारण कानून के अनुसार किया गया है या नहीं। उच्च न्यायालय, धारा 102 के तहत पुनरीक्षण अधिकारिता उपयोग करते हुए, बोर्ड या बाल न्यायालय के निर्णय की वैधता या उपयुक्तता की ही परीक्षा करेगा। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सीमित सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि मामले पर नए सिरे से विचारण की आवश्यकता है, जिसके लिए उसने मामले को

बोर्ड के पास पुनः संदर्भित करते हुए अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र करने और नए निर्णय से पूर्व बच्चे को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

82. निष्कर्ष पर पहुँचते समय, उच्च न्यायालय ने पहले यह माना कि प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया था। दस्तावेजों की सूची, दस्तावेजों की प्रतियाँ, बयान की प्रतियाँ तथा सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट का प्रतिवादी को उपलब्ध न कराना, आदर्श नियम 10(5) का स्पष्ट उल्लंघन था।

83. विशेष रूप से रिपोर्ट देने वाले विशेषज्ञों की जांच के लिए प्रतिपक्ष द्वारा की गई प्रति-परीक्षण की मांग के बावजूद, ऐसा करने की सुविधा प्रतिवादी को प्रदान नहीं की गई। विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए परीक्षण 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे पर लागू नहीं थे या नहीं किए जा सकते थे। एक परीक्षण केवल 15 वर्ष तक के बच्चों पर और दूसरे परीक्षण केवल 11.5 वर्ष तक के बच्चों पर लागू किए जा सकते थे। मनोवैज्ञानिक ने एक उच्चतर संस्थान द्वारा आगे के मूल्यांकन का सुझाव दिया था, जिसे बोर्ड द्वारा ठोस कारणों के बिना स्वीकार नहीं किया गया।

84. बालक की मानसिक आयु आई क्यू के आधार पर लागू सूत्र के अनुसार 16 वर्ष से कम मानी जाएगी। बोर्ड ने बालक, उसके अधिवक्ता, उसके पिता और सीबीआई के अधिवक्ता को 35 पृष्ठों की रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए केवल 30 मिनट का समय प्रदान किया, जो कि समीक्षा, समझ और तर्क देने के लिए बहुत कम था। सी बी आई के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि उनके पास अधिनियम, 2015 के तहत जांच करने के लिए आवश्यक अधिकारी या आधारभूत संरचना नहीं है। उपरोक्त सभी कारणों से, उच्च न्यायालय ने बोर्ड और बाल न्यायालय के दोनों आदेशों को रद्द करने के पश्चात मामले को बोर्ड के पास नए सिरे से विचारण हेतु भेज दिया, ताकि बच्चे की

बुद्धिमत्ता, परिपक्वता, शारीरिक क्षमता और यह कि कानून से संघर्षरत वाले बच्चे के अपराध के परिणाम जानने की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। यह प्रक्रिया छह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जानी थी। उच्च न्यायालय ने आगे यह भी निर्देश दिया कि प्रारंभिक निर्धारण को पुनः करते समय, सरकारी अस्पताल (मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक।) के मनोवैज्ञानिक की राय अवश्य ली जाए। इस न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सभी तर्कों और आगे के परीक्षणों के निर्देश से पूर्ण रूप से सहमति नहीं हो सकती, परन्तु हम इस बात से सहमत हैं कि पर्याप्त अवसर न मिलने की त्रुटियों को सुधारने के पश्चात मामले का नए सिरे से विचारण करने के लिए उच्च न्यायालय के अंतिम परिणाम से कोई आपत्ति नहीं है।

85. उच्च न्यायालय ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को पुनः बोर्ड के पास भेज दिया तथा बच्चे का आगे पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिए, जो छह सप्ताह के भीतर करना था। आज, 3½ वर्षों के बाद, हम इस बात पर कोई राय देने में असमर्थ हैं कि इस चरण पर कोई नया परीक्षण किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि अब बच्चे की आयु 21 वर्ष से अधिक हो चुकी है। हालांकि, हम यह सलाह देते हैं कि बोर्ड या जिस मनोवैज्ञानिक से सलाह ली जा सकती है, उनके विवेक पर निर्भर करते हुए यह तय किया जाए कि कोई नया परीक्षण प्रासंगिक या सहायक होगा या नहीं। हमने पहले ही विस्तार से चर्चा की है कि धारा 15 के तहत किस प्रकार का विश्लेषण या मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अधिनियम, 2015 या आदर्श नियम, बोर्ड को संबंधित पहलुओं पर एक उचित प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए कोई दिशा निर्देश या ढांचा प्रदान नहीं करते हैं। बोर्ड को केवल

यह सुविधा दी गई है कि वह अनुभवी मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कार्यकर्ता या अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। वर्तमान मामले में, केवल बच्चे की मानसिक आई क्यू की जाँच के लिए ही सहायता ली गई है। इसके अलावा, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता और जिस परिस्थिति में कथित अपराध किया गया, इन दोनों विषयों पर किसी मनोवैज्ञानिक से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई।

86. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दोनों अपीलों को खारिज किया जाता है।

87. निष्कर्ष से पहले, हम यह संकेत करना चाहेंगे कि अधिनियम, 2015 की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण का कार्य एक नाजुक प्रक्रिया है, जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और जिसके मुकदमे के विचारण पर प्रभाव पड़ते हैं। इस दृष्टिकोण से, यह उचित प्रतीत होता है कि इस संबंध में उपयुक्त और विशिष्ट दिशा निर्देश तैयार किए जाएं। बिना अधिक विस्तार में जाए, हम इसे केंद्र सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विवेक पर छोड़ते हैं कि वे इस संबंध में ऐसे दिशा निर्देश या आदेश जारी करें, जो बोर्ड को अधिनियम, 2015 की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन करने में सहायता और सुविधा प्रदान कर सकें।

88. हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे आदेश में की गई कोई भी टिप्पणियाँ, जो मामले के गुण-दोष से संबंधित हो सकती हैं, केवल इन अपीलों का निर्णय लेने के उद्देश्य से की गई हैं और ये किसी भी तरह से बोर्ड, बाल न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णयों को प्रभावित नहीं करेंगी। वे विधि के अनुसार, वस्तुनिष्ठ रूप से मामले का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते हैं।

विभूति भूषण बोस अपीलें खारिज

(सहायताः शुभांशु दास, एलसीआरए)